2023:डीएचसी:9101

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

माननीय न्यायमूर्ति श्री पुरुषेंद्र कुमार कौरव

के समक्ष

<u>रि.या.(सि.) 15556/2023 व सि.वि. आ.62322/2023</u>

के मध्य:-

भारत निधि लिमिटेड
अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा
कार्यालय: प्रथम तल, एक्सप्रेस बिल्डिंग 9-10,
बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002।

... याचिकाकर्ता

(द्वारा: वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संदीप सेठी सहित श्री अमेया गोखले, श्री वैभव सिंह, सुश्री राधिका I, सुश्री रिया बसु, सुश्री सिमरन मल्होत्रा, श्री मानस कोटक और सुश्री रिया कुमार, अधिवक्तागण।)

तथा

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
मुख्यालय: सेबी भवन,
प्लॉट नंबर सी 4-ए, जी ब्लॉक, बैंक ऑफ इंडिया के निकट, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुंबई - 400051
इसके अलावा अन्य कार्यालय:
एनबीसीसी कॉम्प्लेक्स, ऑफिस टॉवर -1, 8 वीं मंजिल,

प्लेट बी, पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली - 110023

.... प्रत्यर्थी सं.1

विनीत जैन
15, मोतीलाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली - 110002

.... प्रत्यर्थी सं.2

अशोक मार्केटिंग लिमिटेड
प्रथम तल, एक्सप्रेस बिल्डिंग 9-10,
बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002

.... प्रत्यर्थी सं.3

अर्थ उद्योग लिमिटेड
16ए, लाजपत नगर-IV,
नई दिल्ली-110024

.... प्रत्यर्थी सं.4

मैट्रिक्स मर्चेंडाइज लिमिटेड
101, प्रताप नगर, मयूर विहार,
फेज़ - 1, पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली - 110091।

....प्रत्यर्थी सं.5

महावीर फाइनेंस लिमिटेड
101, प्रताप नगर, मयूर विहार,
फेज़ -1, पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली - 110091

.... प्रत्यर्थी सं.6

टीएम इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड
814, प्लॉट नंबर 7, रूट्स टॉवर,
लक्ष्मी नगर, जिला केंद्र, पूर्वी दिल्ली,
नई दिल्ली - 110092।

.... प्रत्यर्थी सं.**7**

सन्मति प्रॉपर्टीज लिमिटेड
814, प्लॉट नंबर 7, रूट्स टॉवर,
लक्ष्मी नगर, जिला केंद्र, पूर्वी दिल्ली,
नई दिल्ली - 110092। .... प्रत्यर्थी सं.8

(द्वारा: वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जे जे भट्ट सहित श्री अभिषेक बैद, सुश्री प्रणीत दास, श्री मोहित कुमार बाफना, श्री अनुप जैन और श्री अशोक कुमार जैन, प्र.-1 हेतु अधिवक्तागण।)

<u>रि.या.(सि.) 15557/2023 व सि.वि. आ.62323/2023</u>

के मध्य:-

अशोक मार्केटिंग लिमिटेड
अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा
कार्यालय: प्रथम तल, एक्सप्रेस बिल्डिंग 9-10,

बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002

.... याचिकाकर्ता सं.1

अर्थ उद्योग लिमिटेड
अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा
कार्यालय: 16ए, लाजपत नगर-IV,
नई दिल्ली - 110024।

...याचिकाकर्ता सं. 2

(*द्वारा: वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री जयंत मेहता सहित श्री अमेया गोखले, श्री वैभव सिंह, सुश्री राधिका I, श्री रिया बसु, सुश्री सिमरन मल्होत्रा, श्री मानस कोटक और सुश्री रिया कुमार, अधिवक्तागण।)*

तथा

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
मुख्यालय: सेबी भवन,
प्लॉट नंबर सी 4-ए, जी ब्लॉक, बैंक ऑफ इंडिया के निकट,
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
पूर्वी बांद्रा, मुंबई - 400051
इसके अलावा अन्य कार्यालय:
एनबीसीसी कॉम्प्लेक्स, ऑफिस टॉवर -1, 8 वीं मंजिल,

प्लेट बी, पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली - 110023 ....प्रत्यर्थी सं. 1

भारत निधि लिमिटेड
प्रथम तल, एक्सप्रेस बिल्डिंग 9-10,
बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002

....प्रत्यर्थी सं. 2

मैट्रिक्स मर्चेंडाइज लिमिटेड
101, प्रताप नगर, मयूर विहार,
फेज़ - 1, पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली - 110091

.... प्रत्यर्थी सं. 3

महावीर फाइनेंस लिमिटेड
101, प्रताप नगर, मयूर विहार,
फेज़ -1, पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली - 110091

.... प्रत्यर्थी सं. 4

टीएम इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड
814, प्लॉट नंबर 7, रूट्स टॉवर,
लक्ष्मी नगर, जिला केंद्र, पूर्वी दिल्ली,
नई दिल्ली - 110092।

.... प्रत्यर्थी सं. 5

सन्मति प्रॉपर्टीज लिमिटेड

814, प्लॉट नंबर 7, रूट्स टॉवर,
लक्ष्मी नगर, जिला केंद्र, पूर्वी दिल्ली,
नई दिल्ली - 110092।

.... प्रत्यर्थी सं. 6

विनीत जैन

15, मोतीलाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली - 110002

.... प्रत्यर्थी सं.7

(द्वारा: वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री जे. जे. भट्ट सहित श्री अभिषेक बैद, सुश्री प्रणीत दास, श्री मोहित कुमार बाफना, श्री अनुप जैन और श्री अशोक कुमार जैन, प्र.-1 हेतु अधिवक्तागण।)

<u>रि.या.(सि.) 15558/2023 व सि.वि. आ.62324/2023</u>

के बीच:-

मैट्रिक्स मर्चेंडाइज लिमिटेड

101, प्रताप नगर, मयूर विहार,
फेज़ - 1, पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली - 110091

.... याचिकाकर्ता सं. 1

महावीर फाइनेंस लिमिटेड
101, प्रताप नगर, मयूर विहार,
फेज़ -1, पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली - 110091

.... याचिकाकर्ता सं.2

टीएम इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड
814, प्लॉट नंबर 7, रूट्स टॉवर,
लक्ष्मी नगर, जिला केंद्र, पूर्वी दिल्ली,
नई दिल्ली - 110092।

.... याचिकाकर्ता सं.3

सन्मति प्रॉपर्टीज लिमिटेड
814, प्लॉट नंबर 7, रूट्स टॉवर,
लक्ष्मी नगर, जिला केंद्र, पूर्वी दिल्ली,
नई दिल्ली - 110092

.... याचिकाकर्ता सं. 4

विनीत जैन
15, मोतीलाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली - 110002

....याचिकाकर्ता सं. 5

(*द्वारा: वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री अमित सिब्बल सहित श्री अमेया गोखले, श्री वैभव सिंह, सुश्री राधिका I, श्री रिया बसु, सुश्री सिमरन*

मल्होत्रा, श्री मानस कोटक और सुश्री रिया कुमार, अधिवक्तागण।)

तथा

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
मुख्यालय: सेबी भवन,
प्लॉट नंबर सी 4-ए, जी ब्लॉक, बैंक ऑफ इंडिया के निकट,
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
पूर्वी बांद्रा, मुंबई - 400051
इसके अलावा अन्य कार्यालय:
एनबीसीसी कॉम्प्लेक्स, ऑफिस टॉवर -1, 8 वीं मंजिल,
प्लेट बी, पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली - 110023

.... प्रत्यर्थी सं. 1

भारत निधि लिमिटेड
प्रथम तल, एक्सप्रेस बिल्डिंग 9-10,
बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002

.... प्रत्यर्थी सं. 2

अशोक मार्केटिंग लिमिटेड
अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा
कार्यालय: प्रथम तल, एक्सप्रेस बिल्डिंग 9-10,
बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002

.... प्रत्यर्थी सं.3

अर्थ उद्योग लिमिटेड
अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा
कार्यालय: 16A, लाजपत नगर-IV,
नई दिल्ली - 110024

... प्रत्यर्थी सं.4

(द्वारा: वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री जे जे भट्ट सहित श्री अभिषेक बैद, सुश्री प्रणीत दास, श्री मोहित कुमार बाफना, श्री अनुप जैन और श्री अशोक कुमार जैन, प्र.-1 हेतु अधिवक्तागण।)

उद्घोषित: दिनांक 18.12.2023

<u>निर्णय</u>

1. यह आदेश प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के अभाव के आधार पर और/या वैकल्पिक रूप से, *गैर-सुविधाजनक मंच* के आधार पर तत्काल रिट याचिकाओं पर विचार करने पर प्रत्यर्थी सं. 1-भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इसके बाद 'सेबी') की ओर से उठाई गई प्रारंभिक आपत्तियों का निर्णय करेगा। इसमें अंतर्ग्रस्त मुद्दा सभी मामलों में सामान्य है; इसलिए, एक संयुक्त आदेश पारित किया जा रहा है।

<u>विवरण:</u>

2. रि.या.(सि.) 15556/2023 में याचिकाकर्ता जो कि भारत निधि लिमिटेड (इसके बाद 'बीएनएल') है, कंपनी अधिनियम, 1913 के प्रावधानों के अंतर्गत निगमित एक असूचीबद्ध पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय प्रथम तल, एक्सप्रेस बिल्डिंग 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002 में है।

3. रि.या.(सि.) 15557/2023 और रि.या.(सि.) 15558/2023 में संबंधित याचीगण भी या तो कंपनी अधिनियम, 1913 के प्रावधानों के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं। सभी याचीगण के पंजीकृत कार्यालय दिल्ली में हैं। याचिकाकर्ता सं.5 अर्थात् रि.या.(सि.) 15558/2023 में विनीत जैन, 15, मोतीलाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली - 110002 में रहने वाला एक भारतीय निवासी हैं।

4. रि.या.(सि.) 15556/2023 को छोड़कर अन्य सभी रिट याचिकाओं में याचीगण बीएनएल के शेयरधारक हैं।

5. सेबी सभी रिट याचिकाओं में प्रत्यर्थी सं. 1 है, जो सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित है। इसलिए, सेबी एक वैधानिक प्राधिकरण है और उसे प्रतिभूति बाजार के विनियमन और उससे संबद्ध मामलों और उसके आनुषंगिक मामलों का कार्य सौंपा गया है। संबंधित रिट याचिकाओं में अन्य प्रत्यर्थीगण भी बीएनएल के कुछ शेयर के धारक हैं।

6. मुख्य रूप से बीएनएल द्वारा और उसके अनुसरण में सेबी के न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंडों(इसके बाद 'एमपीएस मानदंड) और प्रकटीकरण आवश्यकताओं के उल्लंघन का आरोप लगाने वाले कुछ शेयरधारकों से प्राप्त शिकायतों और अभ्यावेदन के अनुसार, सेबी ने बीएनएल और प्रत्यर्थी सं. 2 से 8 को दिनांक 28.10.2020 को रि.या.(सि.) 15556/2023 की एक सामान्य कारण बताओ सूचना(इसके बाद 'एससीएन') जारी की। उक्त एससीएन में, सेबी ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता ने इसका उल्लंघन किया है:-

> *"(क) सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("**एलओडीआर विनियम**") का विनियमन 31 (1) (ख) सेबी परिपत्र सं. सीआईआर/सीएफडी/सीएमडी/13/2015 दिनांक 30 नवंबर 2015 के साथ पठित सेबी (पूंजी का निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2009 के विनियमन 2 (य क) और लिस्टिंग समझौते का खंड 35;*
>
> *(ख) प्रतिभूति अनुबंध विनियमन नियम, 1957 का नियम 19क(1) के साथ पठित एलओडीआर विनियमों का विनियमन 38, सेबी परिपत्र सं. सीआईआर/सीएफडी/डीआईएल/10/2010 दिनांक 16 दिसंबर 2010 के 2(II) के प्रावधानों के साथ पठित, दिनांक 30 नवंबर 2015 का परिपत्र सं. सीआईआर/ सीएफडी/सीएमडी/14/2015;*
>
> *(ग) सेबी अधिनियम की धारा 12(क)(अ) और (ब) और इसके साथ पठित सेबी (धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं की रोकथाम) विनियम 2003("**पीएफयूटीपी विनियम**") के विनियमन 3(ख) और (ग) और 4(1).॥*

7. इसलिए, उक्त एससीएन में प्रावधान किया गया है कि सूचना प्राप्तकर्ता यह टिप्पण कर सकते हैं कि सेबी (निपटान कार्यवाही) विनियमन, 2018 (इसके बाद '2018 के विनियम') के अंतर्गत एक निपटान तंत्र प्रदान किया गया है और यदि सूचना प्राप्तकर्ता निपटान प्रक्रिया का विकल्प चुनना चाहते हैं, तो वे संबंधित प्राधिकारी को सूचित करने पर उक्त विनियमों में दिए गए तरीके से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

8. इसके बाद, बीएनएल ने दिनांक 27.12.2020 को 2018 के विनियमों के अंतर्गत एक आवेदन दायर किया और दिनांक 28.02.2021 को एससीएन ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। प्रत्यर्थी सं. 2 से 8 तक पृथक और स्वतंत्र निपटान आवेदन भी दायर किए गए थे। उक्त निपटान आवेदनों पर 2018 के विनियमों के अंतर्गत गठित सेबी की आंतरिक समिति द्वारा विचार किया गया। निपटान आवेदन पर विचार-विमर्श करने और निपटान की शर्तों पर चर्चा और बातचीत करने हेतु दिनांक 06.08.2021, 31.08.2021, 28.10.2021 और 02.12.2021 को विभिन्न बैठकें हुईं। बीएनएल और निपटान आवेदकों ने भी अपने-अपने आवेदनों में आंतरिक समिति द्वारा उठाए गए विभिन्न प्रश्नों का उत्तर दिया और याचिकाकर्ता ने परस्पर विचार-विमर्श के आधार पर आंतरिक समिति के साथ पुनरीक्षित निपटान शर्तें दायर कीं।

9. निपटान आवेदन के लंबित रहने के दौरान, दिनांक 14 जनवरी 2022 या उसके आस-पास, बीएनएल ('अशोक शाह समूह') में 1.27% शेयर रखने वाले

शेयरधारकों के एक समूह ने *अन्य बातों के साथ-साथ* याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी सं.2 से 8 के निपटान आवेदन पर विचार करने से सेबी को अवरुद्ध करने के आदेश की मांग करते हुए बॉम्बे में न्यायिक उच्च न्यायालय के समक्ष 2022 की रिट याचिका सं. 406 वाली एक रिट याचिका दायर की। दिनांक 08.04.2022 को उक्त रिट याचिका निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ वापस ले ली गई:-

> *"1. कुछ समय के लिए याचिका पर सुनवाई के बाद, जैसा कि सूचित किया गया है, श्री सीरवई, न्यायालय से इस न्यायालय या किसी भी अन्य मंच से अनुरोध करने की स्वतंत्रता के साथ याचिका वापस लेने की अनुमति चाहते हैं, यदि याचिकाकर्ता कुछ प्रत्यर्थीगण द्वारा दायर निपटान आवेदनों में या हमारे समक्ष कुछ प्रत्यर्थीगण को जारी की गई कारण बताओ सूचना में सेबी द्वारा पारित किए जाने वाले आदेशों से संतुष्ट नहीं हैं। श्री भट्ट का कहना है कि 62 संस्थाओं को कारण बताओ सूचना जारी की गई हैं और जिस स्थिति में हम अभी-अभी कोविड-19 से बाहर आए हैं, उसे देखते हुए निश्चित रूप से कार्यवाही का शीघ्रता से निपटान करने का प्रयास किया जाएगा। प्रत्यर्थी सं. 4 की ओर से उपस्थित श्री अंध्यारुजिना ने कहा कि प्रत्यर्थी सं. 3 और 4 से संबंधित सेबी के समक्ष कार्यवाही चल रही है और ऐसा नहीं है कि याचीगण ने कहा है कि कोई प्रगति नहीं हुई है। हम इस पहलू पर नहीं जा रहे हैं, परंतु समग्र स्थिति पर विचार करते हुए, हम प्रत्याशा करेंगे कि सेबी, अर्थात् प्रत्यर्थी सं. 1, इस याचिका में उनके सामने लंबित कार्यवाही को 6 महीने के भीतर जल्द से जल्द पूरा करेगा। विस्तारण हेतु आवेदन करने की स्वतंत्रता।*
>
> *2. पक्षकारगण के सभी अधिकार और विवाद विवृत रखे गए हैं। हम स्पष्ट करते हैं कि हमने सेबी के समक्ष लंबित मामलों के गुणागुण पर कोई टिप्पणी नहीं की है।*
>
> *3. याचिका को प्रार्थनानुसार स्वतंत्रता के साथ वापस लिया गया मानकर खारिज कर दिया गया।"*

10. इसके बाद, सेबी की आंतरिक समिति ने बीएनएल के संबंध में निपटान की शर्तों को अंतिम रूप दिया, और 2018 के विनियम 13(3) के संदर्भ में, इसे उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति (इसके बाद 'एचपीएसी') को विचार हेतु अग्रेषित किया। 2018 के विनियमों के विनियम 11 के अनुसार, एचपीएसी का गठन किया गया था, जिसमें एक न्यायिक सदस्य जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हों और प्रतिभूति बाजार या संबंधित मामलों में विशेषज्ञता रखने वाले तीन बाहरी विशेषज्ञ शामिल थे।

11. एचपीएसी ने आंतरिक समिति द्वारा अग्रेषित निपटान आवेदन और निपटान शर्तों पर भी विचार किया। एचपीएसी ने टिपण्णी की कि 2019 की रि.या.(सि.) 10756 वाली एक रिट याचिका जिसका शीर्षक ***आदित्य अग्रवाल और अन्य बनाम सेबी और अन्य*** है, जिसमें बीएनएल द्वारा सेबी के कुछ नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था, इस न्यायालय के समक्ष लंबित थी।

12. इसलिए, एचपीएसी ने दिनांक 20.04.2022 को एक ईमेल द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ बीएनएल अर्थात् याचिकाकर्ता को रि.या.(सि.) 15556/2023 निपटान आवेदन दायर करने के तथ्य को विशेष रूप से इस न्यायालय के ध्यान में लाने और निपटान आवेदन पर निर्णय लेने और निपटान हेतु विशिष्ट अनुमति मांगने का निर्देश दिया।

13. दिनांक 27.05.2022 के आदेश के अंतर्गत, इस न्यायालय ने 2019 की रि.या.(सि.) 10756 में सेबी को विधि के अनुसार, अपने गुणागुण के आधार पर, बीएनएल द्वारा दायर निपटान आवेदन पर निपटान/न्यायनिर्णयन करने की अनुमति दी। दिनांक 27.05.2022 के आदेश का प्रभावी भाग निम्नानुसार है:-

> *"6. याचीगण के अधिवक्ता श्री दीपक जैन ने आवेदनों का विरोध किया और तर्क दिया कि सेबी (निपटान कार्यवाही) विनियम, 2018 किसी भी न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों के संबंध में निपटान आवेदन दायर करने को प्रतिषिद्ध करता है।*
>
> *7. पूर्व आदेशों के परिशीलन से, ऐसा कोई निर्देश नहीं मिला जो सेबी को निपटान आवेदनों पर विचार/न्यायनिर्णयन करने से अवरुद्ध करता हो। ऐसा प्रतीत होता है कि तत्काल आवेदन एचपीएसी के कहने पर अत्यधिक सावधानी बरतते हुए दायर किए गए हैं।*
>
> *8. न्यायालय ने हमारे श्री जैन की आपत्ति पर विचार किया है, लेकिन आवेदन को अस्वीकार करने का कोई ठोस कारण नहीं मिला। निपटान आवेदनों पर निर्णय सेबी का परमाधिकार है। सेबी अधिनियम, नियमों, विनियमों आदि के लागू प्रावधानों के अनुसार विचार-विमर्श करना और निर्णय लेना सेबी का कार्य है। आवेदन प्रतिषिद्ध हैं या नहीं, यह निर्धारित करना इस न्यायालय का कार्य नहीं है। तदनुसार, आवेदनों का निपटान इस स्पष्टीकरण के साथ किया जाता है कि सेबी आवेदकों द्वारा दायर निपटान आवेदनों को विधि के अनुसार अपने गुणागुण के आधार पर निपटाने/न्यायनिर्णयन करने के लिए स्वतंत्र होगा।*
>
> *9. निपटान आवेदनों पर निर्णय याचीगण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा और इसमें पक्षकारगण के सभी अधिकार और प्रतिविरोध विवृत रहेंगे।"*

14. इस न्यायालय से अनुमति प्राप्त करने के बाद, एचपीएसी ने 2018 के विनियमों के विनियमन 14(3) के अनुसार निपटान की शर्तों को अनुमोदित किया

और इसे सेबी के पूर्णकालिक सदस्यों के पैनल (इसके बाद 'डब्ल्यूटीएम के पैनल') को अग्रेषित किया। 2018 के विनियमों के विनियम 15 के प्रावधानों के अनुसार, निपटान आदेश पारित करने हेतु डब्ल्यूटीएम का पैनल सेबी के भीतर अंतिम प्राधिकार है। डब्ल्यूटीएम के पैनल पर उचित विचार करने के बाद, याचिकाकर्ता-बीएनएल को सेबी से दिनांक 20.07.2022 को एक ईमेल प्राप्त हुआ जिसमें याचिकाकर्ता को सूचित करते हुए कि *अन्य बातों के साथ-साथ* सेबी ने सैद्धांतिक रूप से निपटान की शर्तों को स्वीकार करने हेतु सहमति व्यक्त की और याचिकाकर्ता को सेबी को निपटान राशि का भुगतान करने और इस राशि के भुगतान के अलावा कुछ गैर-मौद्रिक शर्तों का पालन करने का वचन देने की भी सलाह दी थी।

15. ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता-बीएनएल ने दिनांक 11.08.2022 को 2,43,10,000/- रुपये की अपनी निपटान राशि प्रेषित की है और बीएनएल ने सेबी द्वारा मांगी गई गैर-मौद्रिक शर्तों का पालन करने का भी वचन दिया है।

16. दिनांक 12.09.2022 को, बीएनएल और प्रत्यर्थी सं.2 से 8 के संबंध में एक निपटान आदेश पारित किया गया था। निपटान की शर्तों को उक्त आदेश के पैराग्राफ सं.5 में प्रगणित किया गया था। निपटान आवेदकों ने दिनांक 10.08.2022 से 16.08.2022 के बीच संबंधित निपटान राशि के प्रेषण के विषय में जानकारी दी। सेबी ने इसकी पुष्टि की थी। सेबी अधिनियम की धारा 19 के

साथ पठित धारा 15ञख और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 23ञक के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 2018 के विनियमों के विनियम 28 के साथ पठित विनियम 23 के संदर्भ में निपटान शर्तों का हिस्सा बनने वाली गैर-मौद्रिक शर्तों का पालन करने हेतु एक वचन की प्राप्ति पर, यह आदेश दिया गया था कि उक्त आदेश के पैराग्राफ सं.1 और 2 में उल्लिखित कथित चूक हेतु लंबित प्रवर्तन कार्यवाही आवेदकों हेतु व्यवस्थापित की गई थी। दिनांक 12.09.2022 के आदेश में शर्तों का उल्लेख किया गया था। दिनांक 12.09.2022 के निपटान आदेश का पैराग्राफ सं. 8 से 10 निम्नानुसार हैं:-

> *"8. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, सेबी अधिनियम की धारा 19 के साथ पठित धारा 15ञख के अंतर्गत और एससीआर अधिनियम की धारा 23ञक के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और निपटान विनियमों के विनियमन 28 के साथ पठित विनियम 23 के संदर्भ में, यह आदेश दिया जाता है कि पैराग्राफ 1 और 2 में उल्लिखित कथित चूकों के लिए लंबित प्रवर्तन कार्यवाही आवेदकों हेतु निम्नलिखित शर्तों पर व्यवस्थापित की जाती है:*
>
> *i. यह आदेश आवेदकों के संबंध में पहले बताई गई चूक हेतु सेबी द्वारा शुरू की गई प्रवर्तन कार्यवाही का निपटान करता है;*
>
> *ii. सेबी उक्त चूक हेतु आवेदकों के विरुद्ध कोई अन्य प्रवर्तन कार्रवाई शुरू नहीं करेगा; और*
>
> *iii. भारत निधि लिमिटेड इस निपटान आदेश के पारित होने के 15 दिनों के भीतर पैराग्राफ 5 में दिए गए अपने वचन की शर्तों के अनुपालन की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा,*

ऐसा न करने पर सभी आवेदकों हेतु निपटान आदेश प्रवर्तन में नहीं रहेगा।

9. इस आदेश का पारित होना निपटान विनियमों के विनियम 28 के अंतर्गत आवेदकों के विरुद्ध कार्यवाही जारी रखने सहित प्रवर्तन कार्रवाई करने के सेबी के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है, यदि सेबी को यह ज्ञात रहता है कि:

a) वर्तमान निपटान कार्यवाही में आवेदकों द्वारा किया गया कोई भी प्रतिनिधित्व बाद में असत्य पाया जाता है;

b) आवेदकों ने वर्तमान निपटान कार्यवाही के दौरान दायर किए गए वचनों/अधित्यजन के किसी भी खंड/शर्तों का उल्लंघन किया है; और

c) निपटान की शर्तों पर पहुंचने के दौरान विसंगति थी।

10. यह निपटान आदेश 12 सितंबर, 2022 को पारित किया गया है और तत्काल प्रभाव से लागू होगा।"

17. दिनांक 10 अक्टूबर 2022 को या उसके आसपास, अशोक शाह समूह और बीएनएल ('पिना शाह ग्रुप') के शेयरधारकों के एक अन्य समूह ने बॉम्बे में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दो रिट याचिकाएं अर्थात् 2023 की रि.या. सं. 447 और 2023 की रि.या. सं. 530 दायर कीं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निपटान आदेश और याचिकाकर्ता की पोस्टल बैलट(डाक मतपत्र) सूचना को चुनौती दी गई है।

18. दिनांक 17.10.2022 को, बॉम्बे में माननीय उच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्यर्थी सं. 2 को सुनवाई की अगली तिथि तक प्रस्तावों को अंतिम रूप न देने का निर्देश दिया

गया, यद्यपि, प्रत्यर्थी सं. 2 को प्रस्ताव आमंत्रित करने की सीमा तक आगे बढ़ने की स्वतंत्रता दी गई थी।

19. दिनांक 05.12.2022 को, याचिकाकर्ता की ओर से दायर एक आवेदन पर, बॉम्बे के माननीय उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया: -

> *"1. इस मामले का उल्लेख प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा सुबह किया गया है।*
>
> *2. प्रत्यर्थी सं. 2 के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री धोंड ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी सं. 2 को कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के नियम 17 (5) और 17 (7) में उल्लिखित निर्धारित अवधि के भीतर बायबैक(शेयर की पुनर्खरीद) की प्रक्रिया को पूरा करना होगा।*
>
> *3. इस न्यायालय ने दिनांक 30 नवंबर 2022 को अंतरिम आदेश 10 दिसंबर 2022 तक जारी रखा था और याचिकाकर्ता को दिनांक 20 दिसंबर 2022 को या उससे पहले प्रत्युत्तर दायर करने की स्वतंत्रता दी थी।*
>
> *4. यह ध्यान में रखते हुए कि निषेधात्मक आदेश प्रत्यर्थियों को प्रस्ताव को अंतिमता प्राप्त करने से अवरुद्ध कर रहे हैं, जहां तक समय सीमा का संबंध है, प्रत्यर्थी सं. 2 अंतरिम आदेशों के लाभ का दावा कर सकता है।*
>
> *5. मामले को दिनांक 6 जनवरी 2023 के लिए रखें।*
>
> *6. तब तक पहले पारित किए गए अंतरिम आदेश जारी रखें।"*

20. समसामयिक रूप से, पक्षकारगण के मध्य विभिन्न घटनाक्रम और पत्राचार थे, यद्यपि, वे आवश्यक नहीं हो सकते हैं, इस स्तर पर, इस तथ्य को दर्शाने के अलावा व्यापक रूप से संदर्भित किया जाना चाहिए कि दिनांक 05.09.2023 को, सेबी ने अपने डब्ल्यूटीएम(पूर्ण कालिक सदस्यों) में परिवर्तन के

विषय में बॉम्बे में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष मौखिक रूप से प्रस्तुत किया और और यह निर्णय लिए जाने की संभावना थी कि क्या निपटान आदेश को प्रतिसंहृत किया गया है या नहीं।

21. माननीय उच्च न्यायालय, बॉम्बे द्वारा दिनांक 05.09.2023 का पारित आदेश इस प्रकार है:-

> *"1. हमने इस मामले को आज दोपहर 2.30 बजे अंतिम सुनवाई हेतु रखा था।*
>
> *2. याचीगण के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सीरवई ने अपने तर्क आरंभ कर दिए हैं। सुनवाई के मध्य प्रत्यर्थी सं. 1-सेबी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री भट्ट ने हमारे समक्ष कहा कि सेबी के पूर्णकालिक सदस्यों (डब्ल्यूटीएम) में परिवर्तन हुआ है। उनका कहना है कि सेबी अब यह निर्णय लेने की स्थिति में होगा कि क्या प्रश्नगत निपटान आदेश (प्रदर्शी- "ए") प्रतिसंहृत कर दिया गया है। श्री भट्ट का तर्क होगा कि यदि निपटान आदेश प्रतिसंहृत कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में, वर्तमान याचिका पर आगे के न्यायनिर्णयन की आवश्यकता नहीं होगी।*
>
> *3. हमारी राय है कि सेबी का रुख जानना उचित होगा। सुनवाई की स्थगित तिथि पर सेबी न्यायालय को जो सूचित करता है, उसके आधार पर कार्यवाही पर आगे की कार्रवाई निर्णीत की जा सकती है।*
>
> *4. तदनुसार, 13 सितंबर 2023 को दोपहर 2.30 बजे तक प्रतीक्षा करें।"*

22. दिनांक 13.09.2023 को, माननीय उच्च न्यायालय बॉम्बे ने निम्नलिखित आदेश पारित किया है:-

> *"आज मामला हमारे समक्ष दिनांक 5 सितंबर 2023 के हमारे आदेश की पृष्ठभूमि में रखा गया है। पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्ता से जो सुना गया है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि याचिका में उठाए गए मुद्दों का समाधान नहीं किया जा सकता है। पक्षकारगण इस बात पर*

सहमत हैं कि कार्यवाही को अब सुनने और निर्णय लेने की आवश्यकता होगी।

2. तदनुसार, हम कार्यवाही को दिनांक 4 अक्टूबर 2023 को दोपहर 2.30 बजे सुनवाई के लिए रखते हैं, जिसका पालन 5 अक्टूबर 2023 और 9 अक्टूबर 2023 को किया जाएगा।

23. इसके बाद, दिनांक 05.10.2023 को, मामले पर आगे विचार किया गया और उस दिन सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता-बीएनएल (उसमें प्रत्यर्थी सं. 2) ने कुछ दस्तावेजों के संकलन को अभिलिखित करने हेतु एक मौखिक अनुरोध किया, इस अनुरोध का याचिकाकर्ताओं द्वारा कड़ा विरोध किया गया। इसलिए, बीएनएल द्वारा किया गया अनुरोध उक्त आदेश में अभिलिखित कारणों से अस्वीकार कर दिया गया था। दिनांक 05.10.2023 के आदेश के पैराग्राफ सं. 11 से 17 को निम्नानुसार पढ़ा गया:-

"11. उपरोक्त मुद्दे पर पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, हमारी राय में, हमें याचीगण की ओर से श्री सीरवई और श्री जोशी द्वारा आग्रह किए गए प्रतिविरोधों में काफी तथ्य मिलते हैं। शुरुआत में, हम यह अवलोकन कर सकते हैं कि हम कार्यवाही के अभिलिखित किए जाने वाले दस्तावेजों के संकलन को उस स्तर पर स्वीकार नहीं कर सकते हैं जिस स्तर पर वर्तमान कार्यवाही स्थित है, अर्थात् कि न्यायालय पहले ही याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई शुरू कर चुका है। विशेष रूप से एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर याचिकाकर्ता कल पूरे दूसरे सत्र में पहले ही और काफी ठोस प्रकार से अपने मामले पर बहस कर चुके हैं।

12. यह हो सकता है कि इस प्रकार के प्रकथन शपथ-पत्र में किए गए हों, जैसा कि हमने ऊपर उल्लेख किया है, यद्यपि, इस प्रकार के प्रकथन प्रत्यर्थी सं. 2 को अंतिम सुनवाई के बीच में, दस्तावेजों के एक बड़े समूह को अभिलिखित करने का कोई अधिकार या पात्रता प्रदान नहीं करेंगे,

जैसा कि श्री धोंड ने अपने मौखिक आवेदन में अनुरोध किया था। यह निश्चित रूप से मूल नियम के विपरीत होगा जिसे न्यायालय अभिवचनों पर अंगीकृत करेगा। प्रत्यर्थी सं. 2 को स्पष्ट रूप से ज्ञात था कि अभिवचनों के संबंध में सिद्धांत क्या होंगे जो प्रत्यर्थी सं. 2 के शपथ-पत्रों (पूर्वोक्त) के पैराग्राफ 17 में बहुत स्पष्ट रूप से निर्धारित किए गए हैं, जिसमें प्रत्यर्थी सं. 2 ने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रत्यर्थी सं. 2 अतिरिक्त तथ्य रखने हेतु "अतिरिक्त शपथ-पत्र" दायर करने की अनुमति चाहता है, इसे आवश्यक समझा जाना चाहिए या इस न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। इससे दो बातें विवक्षित होती हैं. सबसे पहले, 5 जून, 2023 को उक्त शपथ-पत्र दायर करने तक, प्रत्यर्थी सं. 2 ने जो भी "आवश्यक समझा" वह पहले से ही रिकॉर्ड का हिस्सा था और जहां तक अनुच्छेद 17 में दिए गए दूसरे बयान का प्रश्न है, हमने प्रत्यर्थी सं. 2 को कोई और शपथ-पत्र दायर करने का निर्देश नहीं दिया है।

13. इसके अलावा, प्रत्यर्थी सं. 2 की ओर से किए गए इस प्रकार के आवेदन के समय पर स्पष्टता हेतु, हमने दिनांक 17 जुलाई, 2023 से पारित अपने पहले के आदेशों को संदर्भित किया है, जो यह इंगित करेगा कि जो प्रत्यर्थी सं. 2 के पास कई अवसर उपलब्ध थे, जिसका उपयोग प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा आगे किसी अतिरिक्त शपथ-पत्र को अभिलिखित करने के लिए किया जा सकता था, जो कि प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा वांछित था, जैसा कि दिनांक 5 जून, 2023 के उसके शपथ-पत्र (पूर्वोक्त) के पैराग्राफ सं. 17 में कहा गया है। इस प्रकार, इतने लंबे समय के अंतराल के बाद और वह भी कार्यवाही की अंतिम सुनवाई शुरू होने के बाद और याची ने अपनी बहस शुरू कर दी थीं और काफी हद तक यह याचीगण हेतु उचित नहीं होगा कि पक्षकारगण हेतु अज्ञात नए तथ्य दस्तावेजों को अभिलिखित करने की अनुमति दी जाए। यह कार्यवाही के न्यायनिर्णयन की प्रक्रिया हेतु भी उचित नहीं होगा। इसके अलावा, यह पूर्ण रूप से अभिवचनों की मूल विधि के विपरीत होगा जिसके अंतर्गत किसी पक्षकार द्वारा दिया जाने वाला कोई भी अभिवचन जो दस्तावेजों में हो सकता है या अन्यथा उस संबंध में एक अभिवचन के माध्यम से लिया जाना आवश्यक होगा, और ऐसे दस्तावेज जिन पर किसी अभिवचन को विधि द्वारा ज्ञात रूप से अभिलेख का हिस्सा बनाने की आवश्यकता होती है। यह सामान्य नियम है, ताकि ऐसा अभिवचन

और दस्तावेजों से सभी पक्षकारगण को अवगत कराया जा सके, जिस पर पक्षकारगण न्यायालय के समक्ष अपना मामला आगे बढ़ा सकें।

14. यदि हम दस्तावेजों के ऐसे संकलन को अभिलिखित करने की अनुमति देते हैं, तो हम पूर्ण रूप से नई कार्रवाई की अनुमति देते हैं, जो प्रत्यर्थी सं. 2 को उन दस्तावेजों पर मामला बनाने की अनुमति देगा जो रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं हैं और जिन पर ऐसे किसी भी दस्तावेज पर कोई विशिष्ट अभिवचन नहीं है और सबसे ऊपर जो याची के ज्ञान में नहीं हैं। यह निश्चित रूप से याची हेतु एक घोर और गंभीर पूर्वाग्रह उत्पन्न कर सकता है।

15. हम यह भी देख सकते हैं और जैसा कि श्री सीरवाई ने प्रासंगिक रूप से बताया है कि दिनांक 11 मार्च, 2023 को, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने प्रत्यर्थी सं. 2 के अधिवक्ता को एक स्पष्ट पत्र संबोधित किया है, जिसमें अनुरोध किया गया है कि संदर्भित और भरोसा किए गए दस्तावेजों को याचीगण को प्रस्तुत किया जाए, साथ ही यह भी कि जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया जा रहा है, उन्हें याचीगण को तुरंत उपलब्ध कराया जाए। हमें यह बताया गया है कि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के इस प्रकार के पत्र का उत्तर प्रत्यर्थी सं. 2 के अधिवक्ता द्वारा नहीं दिया गया था। उक्त पत्र की ओर इशारा करते हुए, श्री सीरवई और श्री जोशी का अभिवचन काफी महत्वपूर्ण है कि दस्तावेजों के समूह को अभिलिखित करने का आज का प्रयास प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा दस्तावेजों के ऐसे दमन को माफ करने के अलावा और कुछ नहीं होगा, जिसे आज तक प्रत्यर्थी सं. 2 ने याचीगण से दूर रखा है और इस प्रकार से, याचीगण द्वारा अपनी याचिका पर ठोस तर्क पेश करने के बाद, प्रत्यर्थी सं. 2 की ओर से समझदार होने का एक प्रयास किया गया है। इसलिए हम श्री सीरवई के तर्क में बहुत सार देखते हैं।

16. हालाँकि, श्रीमान धोंड ने प्रस्तुत किया और जो पहली बार और पहले दिए गए ऐसी किसी भी पूर्व अभिवचन के बिना काफी अनोखी याचिका प्रतीत होती है, कि सेबी के साथ प्रत्यर्थी सं. 2 के पत्राचार में निश्चित रूप से गोपनीयता की आवश्यकताएं थीं, इसलिए दस्तावेजों को पहले अभिलिखित नहीं किया गया था। यह हताशा में और बिना किसी आधार के तर्क प्रतीत होता है, क्योंकि प्रत्यर्थी सं. 2 के पूर्व शपथ-पत्र ऐसी किसी भी गोपनीय आवश्यकता पर पूर्ण रूप से मौन हैं।

17. *इस प्रकार, हम, प्रत्यर्थी संख्या 2 को किसी भी नए दस्तावेज को अभिलेख पर रखने की अनुमति नहीं देते हैं। हम तदनुसार श्री धोंड द्वारा किए गए इस तरह के अनुरोध को अस्वीकार करते हैं और याचिका की अंतिम सुनवाई के साथ आगे बढ़ते हैं।"*

24. दिनाँक 23.10.2023 के पश्चात्वर्ती आदेश द्वारा, माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सेबी को आदेश पारित होने की तिथि से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर अशोक शाह समूह एवं पिना शाह समूह, को की गई प्रार्थना के संदर्भ में कुछ अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। दिनांक 23.10.2023 के आदेश के पैराग्राफ सं. 29 से 33 निम्नानुसार हैं:-

"*29. इस प्रकार प्रत्यर्थी संख्या 2 से 9 तक की ओर से याचीगण द्वारा दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की प्रार्थना के प्रतिविरोधों में आग्रह की गई कोई भी दलील हमें यह मानने के लिए राजी नहीं करेगी कि याचीगण को ऐसे दस्तावेजों को प्रस्तुत/आपूर्ति नहीं करने के लिए कोई विधिक और/या तथ्यात्मक प्रतिबंध था। ऐसे प्रत्यर्थीगण की आपत्ति कि याचिकाकर्ता को अंतिम सुनवाई के मध्य में दस्तावेजों पर इस प्रकार का अभिवचन नही उठाना चाहिए था, क्योंकि इससे ही पता चलता है कि याचीगण के साथ कोई पूर्वाग्रह नहीं किया गया था, हमारी राय में, निश्चित रूप से एक से अधिक कारणों से एक तर्कसंगत प्रतिविरोध नहीं है। सर्वप्रथम ऐसे मामले में याचीगण ने एक विशिष्ट अंतरिम प्रार्थना की है जैसा कि हमने ऊपर उल्लेख किया है। उन्होंने बीएनएल के शेयरधारक होने की हैसियत से उनके प्रति गंभीर पूर्वाग्रह के मामले की पैरवी करके भी ऐसे अभिवचन का समर्थन किया है। यह वह भी मामला नहीं है कि उन्होंने किसी भी तरह से ऐसे दस्तावेजों को रखने की अपनी आवश्यकता और हकदारी के आधार पर अपना मामला छोड़ दिया था। किसी भी घटना में, याचिका को अंतिम रूप से प्रवेश चरण में सुना जा रहा है, जिसका अर्थ यह नहीं होगा कि एक स्थिति लाई गई है, कि दस्तावेजों पर विशिष्ट प्रतिविरोधों, जैसा कि याचीगण द्वारा आग्रह किया गया है और*

विशिष्ट प्रार्थनाओं की विषय वस्तु याचीगण द्वारा विधिक रूप से कम समझ में आएगी। इसके अतिरिक्त, जैसा कि ऊपर देखा गया है, याचीगण का मामला यह है कि सेबी द्वारा निर्धारित नियमों, विनियमों और मानदंडों का उल्लंघन करने वाली बीएनएल के याचीगण द्वारा की गई शिकायतों पर सेबी द्वारा जांच करने का आधार और सेबी द्वारा जांच की समान विषय वस्तु और परिणामी कारण बताओ सूचना के मूलभूत तथ्य थे, इसलिए, इस तरह के संदर्भ में, उक्त उस संबंध में सभी दस्तावेज प्राप्त करना याचीगण का अधिकार था। इसलिए इस तरह के दस्तावेजों की पर्याप्त प्रासंगिकता है जैसा कि पक्षकारों के मध्य वर्तमान वाद में विधि व्याख्या करेगी। इस प्रकार, प्रत्यर्थी संख्या 2 से 9 की धारणा कि याचीगण को ऐसे दस्तावेज प्रदान नहीं किए जाने चाहिए, अस्वीकार्य है। एक बार जब ऐसे दस्तावेज प्राप्त करने के लिए याचीगण को विधि में अधिकार हो जाता है, तो उन्हें ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, जब तक कि इन दस्तावेजों को प्रस्तुत करना विधि द्वारा निषिद्ध नहीं हो, जो निश्चित रूप से वर्तमान तथ्यों में स्थिति नहीं है।

30. हम यह भी जोड़ सकते हैं कि सेबी अधिनियम, 1992 के अंतर्गत विनियम बनाए गए हैं। अधिनियम का घोषित उद्देश्य और इरादा प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना और प्रतिभूति बाजार को विनियमित करने के लिए विकास को बढ़ावा देना है। इस प्रकार, सेबी द्वारा और अधिनियम और विनियमों के तहत गठित विभिन्न निकायों के माध्यम से की जाने वाली सभी कार्रवाइयों को निवेशकों के सर्वोपरि हित को ध्यान में रखते हुए कार्यशील बनाना आवश्यक है। ऐसे कारणों से भी, हमें यह नहीं पता चलता हैं कि याचीगण को दस्तावेजों का हकदार क्यों नहीं होना चाहिए। हम नही पाते की यहाँ याचीगण द्वारा मांगे गए तथा उसे दिए जाने वाले दस्तावेजों की मांग के लिए विधि में या अन्यथा कोई बाधा है।

31.उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हम प्रार्थना खंड (छ) के संदर्भ में याचीगण को अंतरिम राहत देने के लिए इच्छुक हैं।

32.सेबी को निर्देश दिया जाता है कि वह आज से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर याचीगण को ऐसे सभी दस्तावेजों की प्रतियां प्रदान करे।

33. कार्यवाही को दिनांक 29 नवंबर, 2023 (आंशिक रूप से सुना गया) को आगे की सुनवाई हेतु सूचीबद्ध किया जाए।"

25. याचिकाकर्ता ने विशेष अनुमति याचिका (सिविल) (डायरी) सं. 45529/2023 ('बीएनएल एसएलपी') के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष दिनांक 05.10.2023 एवं 23.10.2023 के आदेश को चुनौती दी। दिनांक 23.10.2023 के आदेश को प्रत्यर्थी संख्या 2 से 8 के द्वारा एक अलग विशेष अनुमति याचिका (सिविल) डायरी सं. 45770/2023 दायर करके चुनौती दी गई।

26. दिनाँक 06.11.2023, के *आदेश* के अनुसार, दोनों याचिकाओं यानी विशेष अनुमति याचिका (सिविल) (डायरी) संख्या 45529/2023 तथा 45770/2023 का निपटान करते हुए निर्देश दिया गया कि उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के पश्चात पक्षकार सभी मामलों में विधि अनुसार अपने सभी उपचार को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र होंगे। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह देखा गया था कि आक्षेपित आदेश विशुद्ध रूप से अन्तर्वर्ती प्रकृति का था, इसलिए किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी।

27. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 06.11.2023 को पारित आदेश निम्नानुसार उद्धृत किया जाता है: -

"*1. वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सी. ए. सुंदरम ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय द्वारा प्रकट करने के लिए निर्देशित सभी सामग्री का उपयोग*

केवल उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाही के उद्देश्य के लिए किया जाएगा और किसी तीसरे पक्ष को प्रसारित नहीं किया जाएगा।

2. चूंकि उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश विशुद्ध रूप से एक अन्तर्वर्ती प्रकृति के हैं, इसलिए हम संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति याचिकाओं पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं।

3. हालांकि, पक्षकारों को उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के पश्चात सभी मामलों में विधि अनुसार अपने उपचार का लाभ उठाने की स्वतंत्रता होगी।

4. विशेष अनुमति याचिकाएं खारिज की जाती हैं।

5. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, निपटाए जाते हैं ॥"

28. जैसा कि मामला था, याचिकाकर्ता को सेबी से एक ईमेल के माध्यम से दिनांक 10.11.2023 को आक्षेपित आदेश प्राप्त हुआ, जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ* यह सूचित किया गया की "सहमति आदेश का पालन करने में विफलता" के लिए 2018 के विनियमों के विनियमन 28 के संदर्भ में सहमति आदेश का प्रतिसंहरण कर दिया गया है और वापस ले लिया गया है और दिनाँक 14.11.2023, को याचिकाकर्ता को, आक्षेपित आदेश की भौतिक प्रति प्राप्त हुई।

29. दिनाँक 29.11.2023 को, जब बॉम्बे स्थित माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस मामले पर सुनवाई की गई तो सेबी की ओर से पेश होने वाले विद्वान अधिवक्ता ने श्री सचिन सोनवने, उप महाप्रबंधक-सेबी का दिनाँक 20.11.2023 का एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया और सेबी के दिनांक 10.11.2023 के आदेश को अभिलेख पर रखा, जिसके द्वारा, दिनांक 12.09.2022 के सहमति आदेश का सेबी द्वारा प्रतिसंहरण कर दिया गया था।

30. बॉम्बे स्थित माननीय उच्च न्यायालय ने उन घटनाक्रमों पर पक्षकारों के लिए विद्वान अधिवक्तागण को विस्तृत रूप से सुना, और विशेष रूप से, क्या सेबी द्वारा सहमति आदेश का प्रतिसंहरण किए जाने के मद्देनजर याचिका, को निरर्थक बना दिया जाएगा और कार्यवाही को तदनुसार आदेश पारित करने हेतु दिनांक 01.12.2023 तक स्थगित कर दिया गया था।

31. स्पष्टता हेतु, दिनांक 29.11.2023 का आदेश निम्नानुसार है:-

> "*1. हमने दिनांक 23 अक्टूबर 2023 के अपने आदेश की पृष्ठभूमि में पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है। हमें सूचित किया गया था कि प्रार्थीगण संख्या 2 से 9 ने वि.अनु.या. संख्या 45529/2023 की कार्यवाही में दिनांक 23 अक्टूबर 2023 के हमारे आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने 6 नवंबर 2023 के आदेश में खारिज कर दिया था। हमने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनाँक 6 नवंबर 2023 के आदेश का अवलोकन किया है।*
>
> *2. हमें सेबी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री भट्ट द्वारा सूचित किया गया है कि हाल ही में सेबी ने भी उक्त आदेशों का विरोध करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसे दिनांक 28 नवंबर 2023 को सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था.*
>
> *3. श्री भट्ट ने श्री सचिन सोनवने, उप महाप्रबंधक-सेबी का दिनांक 20 नवंबर 2023 का शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया है, जिसमें सेबी के दिनांक 10 नवंबर 2023 के आदेशों को अभिलेखों में रखा गया है, जिसके तहत दिनांक 12 सितंबर 2022 के सहमति आदेशों को वर्तमान याचिका में चुनौती दी गई जिसका सेबी द्वारा प्रतिसंहरण किया गया ।*
>
> *4. हमने इन घटनाक्रमों पर पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को व्यापक रूप से सुना है, और विशेष रूप से, कि क्या सेबी द्वारा सहमति आदेश का प्रतिसंहरण किए जाने के मद्देनजर याचिका अब निरर्थक हो गई है।*

5. हम याचीगण और प्रत्यर्थीगण की ओर से सुनवाई की स्थगित तिथि पर हमारे समक्ष की गई इस तरह की प्रस्तुतियों पर इन कार्यवाही पर उचित आदेश पारित करेंगे।

6. हालांकि हमारी राय है कि सेबी की विशेष अनुमति याचिका पर उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को न्यायालय को अवगत कराया जाना चाहिए और अभिलेख पर रखा जाना चाहिए।

7. तदनुसार कार्यवाही "आदेश पारित करने हेतु" दिनांक 1 दिसंबर 2023 तक स्थगित की जाती है ।

32. दिनाँक 01.12.2023 को, बॉम्बे स्थित माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश उद्घोषित किया, जिसमें निम्नलिखित निर्देश पारित किए गए:-

"*I. याचीगण दिनांक 23 अक्टूबर 2023 के आदेश के लाभ के हकदार हैं, जैसा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 व 9 की विशेष अनुमति याचिकाओं को अस्वीकार करके और उसके बाद, सेबी द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को अस्वीकार करके पुष्टि की है।*

II. न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 23 अक्टूबर 2023 के आदेश का सेबी द्वारा वर्तमान अनुपालन किया जाए।

III. प्रार्थना खंड (ग) और (घ) के संबंध में विवाद्यकों पर याचीगण और प्रत्यर्थीगण के सभी प्रतिविरोधों को उचित समय पर वाद-विवाद हेतु स्पष्ट रूप से स्वतंत्र रखा गया है।

IV. याचिकाओं का निपटान बिना किसी जुर्माने के उपरोक्त शर्तों के साथ किया जाता है।"

33. अभिलेख इंगित करता है कि दिनांक 29.11.2023 से दिनांक 01.12.2023 के मध्य, ये रिट याचिकाएं संबंधित याचीगण द्वारा राहत की प्रार्थना करने के साथ-साथ सेबी द्वारा दिनांक 10.11.2023 को पारित आक्षेपित आदेश को अपास्त करने के लिए दायर की गई थी।

34. तथ्यों की पूर्वोक्त पृष्ठभूमि के तहत, श्री जे. जे. भट्ट, वरिष्ठ अधिवक्ता जो सेबी की ओर से पेश हुए, ने निम्नलिखित आधारों पर प्रारंभिक आपत्ति उठाई: -

(i) इस न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर विचारणीय रिट याचिकाओं में ऐसा कोई भी वाद हेतुक उद्भूत नहीं हुआ है और न ही कोई विषयवस्तु, समाकलित तथा आवश्यक वाद हेतुक;

(ii) वैकल्पिक रूप से, वह प्रस्तुत करता है कि न्यायालय सहजता (*फोरम कन्वीनियंस)* के सिद्धांत को लागू करते समय, वर्तमान रिट याचिकाओं के पक्षकारों को उच्च न्यायालय की अधिकारिता में प्रेषित किया जाए, जहां संपूर्ण या महत्वपूर्ण वाद हेतुक वास्तव में उद्भूत हुआ था।

35. अपने तर्कों को साबित करने हेतु, वह प्रस्तुत करते हैं कि प्रारंभिक कारण बताओ नोटिस स्वीकार्य रूप से मुंबई में जारी किया गया था, जो दिल्ली में तामील किया गया था, लेकिन उसके उत्तर पर मुंबई में विचार किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि सहमति हेतु आवेदन मुंबई में पंजीकृत किया गया था तथा पूर्ण विचार-विमर्श मुंबई में अलग-अलग तिथियों पर हुआ था। आक्षेपित निर्णय भी मुंबई में लिया गया है और सहमति आदेश को चुनौती देना दोनों रिट याचिकाओं में जांच का विषय बना हुआ है, जहाँ सभी याचीगण ने अपनी संबंधित रिट याचिकाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया था; और इसलिए, वर्तमान रिट

याचिकाओं में शामिल याचीगण को अधिकारिता प्राप्त उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी प्रार्थनाओं को प्रस्तुत करना चाहिए था जहां वाद हेतुक की विषयवस्तु, समाकलित एवं आवश्यक भाग उद्भूत हुआ है, अर्थात मुंबई में।

36. उनके अनुसार, रि. या. संख्या 530/2023 व 447/2023 का निपटान बॉम्बे स्थित माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 01.12.2023 के आदेश में दिनांक 10.11.2023 के आक्षेपित आदेश को ध्यान में रखते हुए और साथ ही सभी प्रासंगिक पहलुओं पर संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा वर्तमान याचीगण की उपस्थिति में व्यापक रूप से विचार करते हुए किया गया था और इसलिए, बॉम्बे स्थित उच्च न्यायालय ही याचीगण और प्रत्यर्थी-सेबी के लिए भी एक सहज न्यायालय (*फोरम कन्वीनियंस*) है। वे आगे प्रस्तुत करते हैं कि इस न्यायालय के समक्ष सहमति को रद्द करने के आक्षेपित आदेश को चुनौती देने वाले याचीगण के कहने पर एक रिट याचिका पर विचार करने से परस्पर विरोधी आदेश और पक्षकारों को असुविधा होगी क्योंकि पूरी कार्यवाही के दौरान, याचिकाकर्ता अपना बचाव कर रहे थे और अपने उपचारों पर या तो मुंबई में सेबी के अधिकारियों के समक्ष या अधिकारिता प्राप्त उच्च न्यायालय के समक्ष अपने उपचारों का लाभ उठा रहे थे, अर्थात, बम्बई।

37. प्रत्यर्थी-सेबी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***गोवा राज्य बनाम समिट ऑनलाइन ट्रेड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड व अन्य, नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड व अन्य बनाम***

हरिबॉक्स स्वालराम व अन्य, भारत संघ व अन्य बनाम अदानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड व अन्य में पारित निर्णयों तथा हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय के ***बीएसई लिमिटेड बनाम जे. एम. फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड व अन्य*** के उपरोक्त मामलों के निर्णयों पर भरोसा जताया है।

38. प्रत्यर्थी-सेबी की ओर से प्रस्ततु की गई प्रस्तुतियों का संबंधित रिट याचीगण की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा कड़ा विरोध किया गया।

39. श्री संदीप सेठी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, जो रि.या.(सि.) 15556/2023 में याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए, ने उक्त रिट याचिका के पैराग्राफ संख्या 81 के माध्यम से इस न्यायालय को यह समझाने का प्रयास किया कि कैसे इस न्यायालय के पास वर्तमान रिट याचिका पर विचार करने की क्षेत्रीय अधिकारिता है। उन्होंने यह भी कहा कि बीएनएल के शेयरधारकों और शेयरधारिता का एक बड़ा हिस्सा दिल्ली में है और याचीगण के उद्देश्यों के लिए, कथित उल्लंघनों सहित दिल्ली में सभी कार्रवाई हुई है। इसलिए, वह प्रस्तुत करते हैं कि सहमति के परिप्रेक्ष्य और सहमति आदेश में दर्ज कार्यवाही के तहत, यह स्पष्ट रूप से ज्ञात होने योग्य होगा कि वाद हेतुक की विषयवस्तु, समाकलित और आवश्यक इस न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर उत्पन्न हुआ है और इसलिए, वर्तमान रिट याचिका संधार्यहै।

40. उनके अनुसार, किसी भी मामले में, यह याचिकाकर्ता की सुविधा है जो एक निर्णायक कारक होना चाहिए न कि प्रत्यर्थी के कार्यालय का स्थान। चूंकि याचिकाकर्ता ने सुगमता से से इस न्यायालय का रुख किया है और उसके अनुसार, इस न्यायालय के पास आक्षेपित निरसन की वैधता तय करने के लिए पर्याप्त क्षेत्राधिकार है, इसलिए, याचिकाकर्ता को किसी अन्य उच्च न्यायालय से संपर्क करने का बोझ नहीं होना चाहिए।

41. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने माननीय उच्चतम न्यायालय के ***वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग्स बीवी बनाम भारत संघ व अन्य*** के एक निर्णय पर भरोसा किया है यह प्रस्तुत करने के लिए कि शेयर के स्थान की विधि उस स्थान पर स्थित है जहाँ कंपनी निगमित है और/या वह स्थान जहाँ शेयर को हस्तांतरण के माध्यम से निपटाया जा सकता है। उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय के ***यूनियन ऑफ इंडिया बनाम ओसवाल वूलन मिल्स लिमिटेड, शांति देवी बनाम भारत संघ, नवल किशोर शर्मा बनाम भारत संघ व अन्य, नवीनचंद्र एन. मजीठिया बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य के मामले*** के निर्णयों और ***नौएडा मिंट एम्प्लाइज यूनियन व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य के*** इस मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा जताया है।

42. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने ***गोवा राज्य*** *(पूर्वोक्त) के मामले में* माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को भी सुभिन्न किया है और ***अंगिका डेवलपमेंट सोसाइटी बनाम भारत संघ व अन्य*** के मामले में इस न्यायालय के निर्णय से उनके पक्ष की एक समानता प्रस्तुत करने का प्रयास किया है।

43. रि.या.(सि) 15557/2023 में याचीगण की ओर से पेश होने वाले विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जयंत मेहता ने उक्त रिट याचिका के पैराग्राफ संख्या 64 से समझाया कि कैसे इस न्यायालय के पास अधिकारिता है। उनके अनुसार, मुंबई में सेबी द्वारा पारित आदेश को छोड़कर समस्त वाद हेतुक दिल्ली में उद्भूत हुआ था। याचिकाकर्ता दिल्ली में स्थित है और प्रत्यर्थी-सेबी ने स्वयं याचीगण को 2019 की रि.या.(सि) 10756 वाली लंबित रिट याचिका में इस न्यायालय से अनुमति लेने की आवश्यकता थी। उनके अनुसार, चूंकि केवल अल्पसंख्यक शेयरधारकों ने बॉम्बे स्थित माननीय उच्च न्यायालय से संपर्क किया था, इसलिए, इस न्यायालय के पास वर्तमान रिट याचिका पर विचार करने के लिए अपनी अधिकारिता का अभाव नहीं है।

44. किसी भी मामले में, उनके अनुसार, जब याचिकाकर्ता विधिक रूप से इस न्यायालय में जाने का हकदार हैं, तो उन्हें न्यायालय सुगमता (*फोरम कन्वीनियंस*) के सिद्धांत को लागू करने वाले किसी अन्य उच्च न्यायालय में नहीं भेजा जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा की इस न्यायालय के समक्ष लंबित रिट याचिकाओं में किसी भी समय, प्रत्यर्थी-सेबी ने इस न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता के बारे में कोई आपत्ति नहीं उठाई है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया है कि याचीगण द्वारा पहले ही यानी दिनांक 30.11.2023 को इस न्यायालय से संपर्क करने के बाद बॉम्बे स्थित माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 01.12.2023 का आदेश पारित किया गया है। उन्होंने प्रत्यर्थी-सेबी की ओर से

पेश होने वाले विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा भरोसा किए गए निर्णय को भी अलग किया है, जबकि संबंधित निर्णय से परिस्थितियों में मूलभूत अंतर की व्याख्या की है। उन्होंने ***गोवा राज्य*** *(पूर्वोक्त)* के मामले में निर्णय के पैराग्राफ संख्या 12 और ***राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड और अन्य*** *(पूर्वोक्त)* मामले में निर्णय के पैराग्राफ संख्या 10, 12 व 12.1 को विस्तार से पढ़ा है। उन्होंने ***दीना नाथ पब्लिक स्कूल बनाम भविष्य निधि आयुक्त*** के मामले के निर्णय पर भी भरोसा किया है।

45. उन्होंने ***अदानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड व अन्य*** *(पूर्वोक्त)* के पैरा संख्या 6 व 18 को पढ़ते हुए याचिकाकर्ता द्वारा भरोसा किए गए निर्णय का भेद स्पष्ट किया है।

46. उन्होंने ***अंगिका विकास सोसायटी*** *(पूर्वोक्त) में* निर्धारित सिद्धांतों पर भी भरोसा किया है यह प्रस्तुत करने के लिए कि उस मामले में, इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता को पटना के माननीय उच्च न्यायालय में हस्तांतरित कर दिया है क्योंकि सम्पूर्ण वाद हेतुक उस उच्च न्यायालय की अधिकारिता में उद्भूत हुआ था और केवल इस आधार पर कि उस मामले में प्रत्यर्थी का कार्यालय दिल्ली में स्थित था, इस न्यायालय ने उक्त रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। इसलिए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि उसी सादृश्य को लागू करते हुए, इस न्यायालय को यह ध्यान में रखना होगा कि मुंबई में पारित आदेश को छोड़कर इस न्यायालय की अधिकारिकता के भीतर सम्पूर्ण वाद हेतुक उद्भूत हुआ है।

47. रि.या.(सि.) 15558/2023 में याचीगण की ओर से पेश होने वाले विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अमित सिब्बल, ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के दायरे को यह प्रस्तुत करने के लिए समझाया कि यदि वर्तमान मामले में याचीगण को *फोरम कन्वीनियंस* के सिद्धांतों को लागू करने वाले विभिन्न उच्च न्यायालयों में हस्तांतरित कर दिया जाता है तो यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत संशोधन के प्रयोजन का उल्लंघन होगा। उन्होंने विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 की योजना को विस्तृत रूप से समझाया है। उनके अनुसार, प्रारंभिक कारण बताओ नोटिस दिल्ली में प्राप्त हुआ था और आक्षेपित आदेश दिल्ली में भी प्राप्त हुआ है।

48. रि.या.(सि.) 15558/2023 के पैराग्राफ संख्या 66 पढ़ते हुए, उन्होंने प्रस्तुत किया है कि उक्त पैराग्राफ में किए गए प्रकथन विवादास्पद नहीं हैं; और इसलिए, इसे उचित मानना होगा। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया है कि आदेश पारित करने के अतिरिक्त मुंबई में कुछ भी नहीं किया गया है और सब कुछ दिल्ली में हुआ है और *फोरम कन्वीनियंस* के सिद्धांत को उन मुक़दमेबाज़ के अहित में लागू नहीं किया जा सकता है जो भारत के संविधान के तहत अपने मौलिक अधिकारों की परिवर्तनीयता हेतु उच्च न्यायालय का रुख करते हैं।

49. उन्होंने प्रत्यर्थी-सेबी की ओर से भरोसा किए गए निर्णय को भी सुभिन्न किया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने प्रस्तुत किया कि ***स्टर्लिंग एग्रो इंडस्ट्रीज***

लिमिटेड बनाम भारत संघ व अन्य *के मामले में* इस न्यायालय की वृहद न्यायपीठ द्वारा अभिकथित सिद्धांत पूर्ण रूप से लागू होंगे और उन्हीं सिद्धांतों को लागू करना इस न्यायालय की अधिकारिता है और समान सिद्धांतों को लागू करते हुए, इस न्यायालय के पास वर्तमान रिट याचिका पर विचार करने की अधिकारिता है। उन्होंने ***अनिमिष प्रदीप राजे बनाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड व अन्य*** के मामले में तेलंगाना स्थित उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा पारित निर्णय पर भरोसा जताया है। ***ओम प्रकाश श्रीवास्तव बनाम भारत संघ*** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भी भरोसा जताया है।

50. प्रत्युत्तर प्रस्तुतियाँ में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रत्यर्थी -एस.बी.आई. की ओर से उपस्थित हुए और प्रस्तुत किया गया कि उन्हें यह कहने में गलत नहीं समझा जा सकता है कि सेबी के मुख्य कार्यालय का स्थान केवल मुंबई में है, इसलिए, उन्होंने अधिकारिता पर आपत्तियां उठाई हैं, बल्कि उनका मामला यह है कि वाद हेतुक का कोई भाग इस न्यायालय की अधिकारिता के भीतर उद्भूत नहीं हुआ था। उनके अनुसार, वैकल्पिक रूप से, वर्तमान मामलों के तथ्यों के तहत, *फोरम कन्वीनियंस* के सिद्धांतों को लागू करते हुए, याचीगण को अधिकारिता उच्च न्यायालय यानी बॉम्बे स्थित माननीय न्यायिक न्यायालय में भेज दिया जाना चाहिए।

51. उन्होंने समझाया कि इस न्यायालय के समक्ष लंबित रिट याचिका उन विवाद्यकों से संबंधित है जिनकी वर्तमान विवाद से कोई प्रासंगिकता नहीं है। उक्त रिट याचिकाओं में किसी विशिष्ट निर्णय को चुनौती नहीं दी गई है, जबकि वर्तमान रिट याचिकाओं में सभी याचिकाकर्ता माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी थे और एक सारभूत सुनवाई पहले ही आयोजित की जा चुकी थी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि याचीगण के लिए माननीय उच्च न्यायालय, बॉम्बे से संपर्क करना असुविधाजनक नहीं होगा क्योंकि सभी याचिकाकर्ता सेबी के समक्ष कार्यवाही में भाग ले रहे थे और साथ ही वे बॉम्बे में माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका को सक्रिय रूप से लड़ रहे थे।

52. उनके अनुसार, सभी अभिलेख, साक्ष्य आदि बॉम्बे स्थित माननीय उच्च न्यायालय की अधिकारिता के भीतर उपलब्ध हैं और इसलिए, याचिकाओं को खारिज किया जाना चाहिए।

53. मैंने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर विचार किया है और अभिलेख का अवलोकन किया है।

54. इस समय तात्कालिक याचिकाओं में शामिल संछिप्त विवाद यह है कि क्या यह न्यायालय वर्तमान रिट याचिकाओं पर निर्णय लेने और प्रार्थना के अनुसार राहत प्रदान करने के लिए उपयुक्त फोरम है। इस विवाद्यक को निर्धारित करने के लिए, इस न्यायालय को यह न्यायनिर्णीत करना होगा कि वर्तमान रिट याचिकाओं में उद्भूत होने वाले वाद हेतुक, यदि कोई हो, किस

सीमा तक इस न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता में उपचित हुए हैं। वर्तमान रिट याचिकाओं से उभरने वाले विवाद्यक को निर्णीत करने हेतु, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के साथ के दायरे का संदर्भ दिया जाना चाहिए और *फोरम कन्वीनियंस* के सिद्धांत पर परस्पर क्रिया की जानी चाहिए।

55. *फोरम कन्वीनियंस* से संबंधित विधियों का विश्लेषण करने एवं वर्तमान याचिकाओं में तथ्यों की विवेचना करने के लिए अग्रसर होने से पूर्व, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 में संशोधनों की संक्षिप्त यात्रा प्रारम्भ करना उचित है ताकि उक्त अधिनियम के पीछे के उद्देश्य और तर्कसंगतता को समझा जा सके, विशेष रूप से अनुच्छेद 226 के खंड 2 के बारे में, जैसा कि यह वर्तमान में है।

56. भारत के संविधान का अनुच्छेद 226, जैसा कि मूल रूप से संशोधनों से पहले अपनाया गया था, निम्नानुसार है:

> *—226. .....*
>
> *(1) अनुच्छेद 32 के अध्यारोही भी, प्रत्येक उच्च न्यायालय को उन सभी राज्यक्षेत्रों में, जिनके संबंध में वह अधिकारिता का प्रयोग करता है, भाग III द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकारों में से किसी भी अधिकार के प्रवर्तन के लिए और किसी अन्य अधिकार के प्रवर्तन के लिए और किसी अन्य प्रयोजन के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, वारंट और उत्प्रेषण या उसमे से किसी भी प्रकार की रिटों सहित उपयुक्त मामलों में किसी भी सरकार सहित किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को, जिनके अंतर्गत उपयुक्त मामलों में कोई सरकार भी है, निदेश, आदेश या रिट जारी करने की शक्ति होगी।*
>
> *(2) खंड (1) द्वारा उच्च न्यायालय को प्रदत्त शक्ति अनुच्छेद 32 के खंड (2) द्वारा उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त शक्ति के अल्पीकरण में नहीं होगी।"*

57. माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष ***चुनाव आयोग, भारत बनाम बनाम साका वेंकट राव***, के मामले में मूल असंशोधित अनुच्छेद 226 का अर्थ समझने का अवसर मिला था, जिसमें, अनुच्छेद 226 को एक सख्त और प्रतिबंधात्मक निर्माण प्रदान किया गया था।

58. तत्पश्चात्, यह विवाद्यक एक बार पुन: ***लेफ्टिनेंट कर्नल खजूर सिंह बनाम भारत संघ***, के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचारार्थ आया है, जिसके द्वारा ***साका वेंकट राव*** (पूर्वोक्त) के मामले में पारित निर्णय को अनुमोदित किया गया था और यह स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया था कि कार्यपद्धती या सरकार की कार्रवाई के प्रभाव उच्च न्यायालय को अधिकारिता प्रदान नही करेंगे। यह अभिनिर्धारित किया जाता है की उच्चतम न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति दो तरफों सीमाओं के अधीन थी। सबसे *पहले,* इस तरह की रिट अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता से परे नहीं जा सकती हैं और *दूसरा,* यह स्थापित किया गया था कि जिस व्यक्ति या प्राधिकारी को रिट जारी की जा सकती है, उसे उच्च न्यायालय की अधिकारिता के निवास या स्थान के भीतर क्षेत्रीय अधिकारिता के अधीन होना चाहिए ।

59. ***लेफ्टिनेंट कर्नल खजूर सिंह*** (पूर्वोक्त), के मामले में, अनुच्छेद 226 के तहत अधिकारिता के प्रयोग के लिए एक शर्त के रूप में वाद हेतुक की अवधारणा को पेश करने के दायरे पर निर्णय सुनाते हुए, यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया था:

"16. अनुच्छेद 226 जैसा कि यह है, कहीं भी वाद हेतुक के उपचित होने और उच्च न्यायालय की अधिकारिता का उल्लेख नहीं करता है, जो उस उस स्थान पर निर्भर करता है जहां वाद हेतुक अपनी अधिकारिता की क्षेत्रीय सीमा के भीतर होता है। अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही वाद नहीं हैं; वे एक विशेष प्रक्रिया द्वारा असाधारण उपचार प्रदान करते हैं और व्यक्तियों और प्राधिकरणों पर उच्च न्यायालय को सुधार की शक्तियां देते हैं और इन विशेष शक्तियों का प्रयोग उनके लिए निर्धारित सीमाओं के भीतर किया जाना होता है। ये दो सीमाएँ हमारे द्वारा ऊपर पहले ही इंगित की जा चुकी हैं और उनमें से एक यह है कि संबंधित व्यक्ति या प्राधिकारी को उन क्षेत्रीय सीमा के भीतर होना चाहिए जिन पर उच्च न्यायालय अधिकारिता का प्रयोग करता है। क्या तब इस संवैधानिक सीमा की अनदेखी करना और यह कहना संभव है कि उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति या प्राधिकारी के खिलाफ रिट जारी कर सकता है, भले ही वह अपनी क्षेत्रीय सीमा के भीतर न हो, केवल इसलिए कि वाद हेतुक उन क्षेत्रों के भीतर उद्भूत हुआ है? हमें ऐसा लगता है कि यह अनुच्छेद 226 में अभिव्यक्त प्रावधान के समक्ष जा रहा होगा और उसमें निहित एक अभिव्यक्त सीमा को दूर कर रहा होगा यदि वाद हेतुक की अवधारणा को इसमें पेश किया जाना था। न ही हमें लगता है कि यह कहना सही है कि क्योंकि अनुच्छेद 300 विशेष रूप से भारत सरकार द्वारा और उसके खिलाफ मुकदमों का प्रावधान करता है, अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही भी अनुच्छेद 300 के तहत की जाती है। हमें ऐसा लगता है कि अनुच्छेद 300 जो भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 176 के समान है, मुकदमों के अनुरूप या उसके परिणामस्वरूप होने वाले वादों और कार्यवाहियों से निपटता है और इसमें संविधान के अनुच्छेद 226 द्वारा प्रदान किए गए असाधारण उपायों का कोई संदर्भ नहीं है। वाद हेतुक की अवधारणा को हमारी राय में अनुच्छेद 226 में पेश नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा करने से हम उसमें निहित स्पष्ट प्रावधान को समाप्त कर देंगे, जिसके लिए आवश्यक है कि जिस व्यक्ति या प्राधिकारी को रिट जारी की जानी है, वह उन क्षेत्रों में निवासी या स्थित होना चाहिए जिन पर उच्च न्यायालय की अधिकारिकता है। यह सच है कि इससे नई दिल्ली से दूर रहने वाले उन लोगों को कुछ असुविधा हो सकती है जो भारत सरकार के किसी आदेश से व्यथित हैं, और यह अनुच्छेद 226 में एक उपयुक्त संवैधानिक संशोधन करने का एक कारण हो सकता है। "

60. पूर्वोक्त निर्णय के पश्चात अनुच्छेद 226 की प्रतिबंधात्मक व्याख्या के कारण व्यावहारिक बाधाओं को दूर करने के लिए, संविधान (पंद्रहवां संशोधन) अधिनियम वर्ष 1963 में लाया गया था, जिसमें खंड (1क) को सम्मिलित किया गया था, जिसे बाद में बयालीसवाँ संविधान संशोधन, 1976 के माध्यम से खंड (2) के रूप में पुन: संख्यांकित किया गया था भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 का खंड 2 निम्नानुसार है:

> *—226. ....*
>
> *.....*
>
> *(2) खंड (1) द्वारा प्रदत्त किसी सरकार, प्राधिकारी या व्यक्ति को निदेश, आदेश या रिट जारी करने की प्रदत्त शक्ति का प्रयोग किसी ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा भी किया जा सकेगा, जो उन क्षेत्रीय सीमा के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करते हुए भी किया जा सकेगा जिनके भीतर ऐसी शक्ति के प्रयोग के लिए वाद हेतुक, पूर्णतः या आंशिक रूप से उत्पन्न होता है, इस बात के होते हुए भी कि ऐसी सरकार या प्राधिकारी का स्थान या ऐसे व्यक्ति का निवास उस क्षेत्रीय सीमा के भीतर नहीं है।*

61. संविधान के (पंद्रहवां संशोधन) अधिनियम, 1963, के पीछे का तर्क जिसने 'वाद हेतुक' की अवधारणा की प्रयोज्यता का मार्ग प्रशस्त किया, जिसे पहले अनुच्छेद 226(1) में पढ़ें जाने से इनकार कर दिया गया था, जो संविधान (पंद्रहवां संशोधन) विधेयक, 1962 से जुड़े उद्देश्यों और कारणों के कथन में शामिल है और इसे निम्नानुसार पढ़ा जाता है:

> *- संविधान के मौजूदा अनुच्छेद 226 के तहत, केवल*

उच्च न्यायालय जिसकी केंद्र सरकार के संबंध में अधिकारिता है, वे पंजाब उच्च न्यायालय है। इसमें दूर-दराज के मुकदमेबाजों को काफी कठिनाई होती है। अतः अनुच्छेद 226 का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे कि जब की गई किसी कार्रवाई के लिए किसी सरकार, प्राधिकारी या व्यक्ति के विरुद्ध कोई राहत मांगी जाए तो उस उच्च न्यायालय, जिसकी अधिकारिता में वाद हेतुक उत्पन्न होता है, उसे भी समुचित निदेश, आदेश या रिट जारी करने की अधिकारिता भी होगी ॥

62. तत्कालीन विधि मंत्री श्री ए.के. सेन के शब्दों में, पंद्रहवें संशोधन विधेयक को पुरःस्थापित करते समय, तत्कालीन अनुच्छेद 226(1क), जो वर्तमान अनुच्छेद 226(2) है, को पुरस्थापित करने के पीछे का आशय इस प्रकार है:

हम अनुच्छेद 226 में संशोधन कर रहे हैं जो उच्चतम न्यायालय के कुछ निर्णयों के मद्देनजर बहुत आवश्यक हो गया है कि भारत संघ के खिलाफ अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने के लिए कोई भी आवेदन केवल पंजाब उच्च न्यायालय में किया जा सकता है क्योंकि दिल्ली, जो भारत संघ का मुख्यालय है, पंजाब उच्च न्यायालय की अधिकारिता में है। ताकि एक आम आदमी जो केरल या असम या बंगाल या दूरदराज के स्थानों से भारत संघ पर मुकदमा करना चाहता है, उसे दिल्ली तक की यात्रा करनी पड़े और पंजाब उच्च न्यायालय में अपना आवेदन दायर करना पड़े। अधिकांश मामलों में आम आदमी के लिए जिनके पास सीमित संसाधन हैं, यह एक असंभव बात बन जाती है। यह मांग अब हर तरफ से उठी है। यद्यपि मूल मंशा कभी भी भारत संघ के विरुद्ध केवल पंजाब उच्च न्यायालय को उच्च न्यायालय बनाने की नहीं थी, और यह विचार किया गया था कि उच्चतम न्यायालय के न्यायिक निर्णय द्वारा सभी उच्च न्यायालयों की अधिकारिकता समान होगी, यह दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम सामने आया है। यह कि संविधान से पहले, प्रिवी काउंसिल ने पूरी तरह से एक अलग दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने परलाकीमिडी मामले में और हावड़ा नगरपालिका के मामले में भी अभिनिर्धारित किया गया है कि प्राधिकरण या सरकार की सीट महत्वपूर्ण नहीं थी, ताकि, भले ही भारत संघ की सीट दिल्ली थी, आप दिल्ली में भारत संघ में एक रिट जारी करने के लिए मुकदमा नहीं कर सकते थे जब तक कि वाद हेतुक इस उच्च न्यायालय की अधिकारिता के भीतर

भी उत्पन्न न हो। उन्होंने उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण के बिल्कुल विपरीत दृष्टिकोण अपनाया। जब विधि उस स्थिति में थी, तो इस संविधान को यह सोचकर तैयार किया गया था कि प्रत्येक उच्च न्यायालय की अधिकारिता होगी जिसकी अधिकारिता या क्षेत्रीय सीमा के भीतर वाद हेतुक उद्भूत हुआ था। इसलिए, हम उस स्थिति को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उस व्यक्ति को यथासंभव सीमित संसाधनों के साथ दिल्ली की यात्रा न करनी पड़े।"

63. भारत के संविधान पर टिप्पणी के 8वें संस्करण के खंड 10 के अनुच्छेद 214-226 (लगायत) में डीडी बासु द्वारा संशोधनों के पीछे तर्क निम्नलिखित शब्दों में समझाया गया है:

"संशोधन के उद्देश्य

चुनाव आयोग बनाम वेंकटा और बाद के मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनाये गए दृष्टिकोण के अनुसार और वादहेतुक के अप्रासंगिक होने के कारण प्रत्यर्थी के स्थान या निवासस्थल ने अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय को क्षेत्राधिकार दिया था। उच्चतम न्यायालय के निर्णय का परिणाम यह हुआ कि केवल पंजाब उच्च न्यायालय के पास ही भारत संघ और दिल्ली में स्थित अन्य निकायों के विरुद्ध अनुच्छेद 226 के अधीन याचिकाओं पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र होगा।

15वें संशोधन अधिनियम, 1963 द्वारा अंतःस्थापित खंड (1क) का उद्देश्य उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को बहाल करना और यह उपबंध करना था कि जिस उच्च न्यायालय के भीतर वादहेतुक पूर्णतः या आंशिक रूप से उत्पन्न होता है, उसे भारत संघ अथवा दिल्ली में स्थित किसी अन्य निकाय के विरुद्ध अनुच्छेद 226 के अधीन याचिका पर विचार करने का क्षेत्राधिकार भी होगा। इस प्रकार यह संशोधन उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को पलट देता है।

संशोधन ने वादहेतुक के प्रोद्भवन को अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय को अधिकार क्षेत्र प्रदान करने के लिए एक अतिरिक्त आधार बना दिया। जैसा कि संयुक्त समिति ने टिप्पणी की है — "यह खंड उस उच्च

न्यायालय को जिसके अधिकार क्षेत्र में वादहेतुक उत्पन्न होता है, किसी भी सरकार, प्राधिकरण या व्यक्ति को निर्देश, आदेश या रिट जारी करने में सक्षम करेगा, इस बात के बावजूद कि ऐसी सरकार या प्राधिकरण का स्थान या ऐसे व्यक्ति का निवास उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर है। समिति महसूस करती है कि जिस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वादहेतुक केवल आंशिक रूप से उत्पन्न होता है, उसे भी ऐसे क्षेत्राधिकार के साथ निहित किया जाना चाहिए। (संयुक्त समिति का प्रतिवेदन - खण्ड 8) ॥"

संविधान (पंद्रहवां संशोधन) 5 अक्टूबर, 1963 को लागू हुआ। हालांकि, जैसा कि ऊपर देखा गया है, यह खंड उच्च न्यायालय को नया अधिकार क्षेत्र नहीं बल्कि एक अतिरिक्त आधार प्रदान करता है और यदि वादहेतुक उसके क्षेत्र के भीतर उत्पन्न हुआ है, तो उसके अधिकार क्षेत्र को राज्य की सीमाओं से परे विस्तृत करता है ॥

64. अनुच्छेद 226 के खंड 2 के अवलोकन से संकेत मिलता है कि उच्च न्यायालय द्वारा रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग मुख्य रूप से उन क्षेत्रों के संबंध में किया जा सकता है जिनके अधीन वादहेतुक पूर्ण या आंशिक रूप से उत्पन्न हुआ है। हालांकि, उच्च न्यायालय के क्षेत्रों के बाहर ऐसी सरकार, प्राधिकरण या ऐसे व्यक्ति के निवास का स्थान उच्च न्यायालय को उचित रिट जारी करने से नहीं रोकेगा।

65. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 में खंड (2) के प्रस्तावना ने विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा रिट जारी करने के क्षेत्राधिकार का विस्तार किया, हालांकि, इसका अर्थ संविधान निर्माताओं के उन मूल प्रयोजन को पूरी तरह से कमजोर करने के लिए नहीं लगाया जा सकता है, जो अनुच्छेद 226 के

खंड (1) में संक्षेप में बताए गए हैं। बल्कि, खंड (2) एक सक्षम प्रावधान है, जो मौलिक अधिकारों या किसी अन्य कानूनी अधिकार का प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए उच्च न्यायालयों को सशक्त बनाने के लिए खंड (1) को पूरक बनाता है। इसलिए, न्यायिक समीक्षा की शक्ति को उस प्राधिकारी के स्थान से सीमित नहीं किया जा सकता है जिसके विरुद्ध रिट जारी की गई है, हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि अनुच्छेद 226 (1) के अधीन निहित संवैधानिक जनादेश को पूरी तरह से उपेक्षित या कम किया जा सकता है।

66. इस पहलू पर, ***जायसवाल नेको लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य*** मामले में इस न्यायालय की समन्वय पीठ के निर्णय पर ध्यान दिलाना महत्वपूर्ण है, जिसमें यह माना गया था कि अनुच्छेद 226 (2) ने केवल उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को उनकी सीमाओं से परे बढ़ाया है, लेकिन यह अनुच्छेद 226 (1) को प्रतिस्थापित नहीं करता है। उक्त निर्णय का प्रासंगिक पैराग्राफ निम्नानुसार है

> *"20. ---*
>
> *इस संशोधन ने वादहेतुक की उस अवधारणा को पेश किया जिस पर उच्चतम न्यायालय ने पहले अनुच्छेद 226 (1) के सन्दर्भ में गौर करने से इनकार कर दिया था। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि अनुच्छेद 226 (1) के अधीन क्षेत्राधिकार की अवधारणा को अनुच्छेद 226 (2) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। भारतीय चुनाव आयोग बनाम साका वेंकट सुब्बा राव (पूर्वोक्त) और खजूर सिंह (पूर्वोक्त) में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को अनुच्छेद 226 (1) के संदर्भ में और अनुच्छेद 226 (2) के स्वरुप के किसी भी प्रावधान के बिना प्रस्तुत*

*किया गया था। जैसा कि नवीनचंद्र एन. मजीठिया (पूर्वोक्त) मामले में देखा गया है,अनुच्छेद 226 (2) ने विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा जारी रिटों के संबंध में क्षेत्राधिकार का विस्तार कर दिया है। वास्तव में, अनुच्छेद 226 (2) को भारतीय चुनाव आयोग (पूर्वोक्त) में उल्लिखित और खजूर सिंह (पूर्वोक्त)मामले में स्वीकृत सीमाओं के अपवाद के रूप में माना जा सकता है। अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालयों को प्रदत्त शक्ति का प्रयोग अब किसी भी उच्च न्यायालय द्वारा उन क्षेत्रों के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए अच्छी तरह से किया जा सकता है जिन के भीतर वादहेतुक पूरे या आंशिक रूप से, उत्पन्न हुआ था और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि संबंधित प्राधिकरण का स्थान उस उच्च न्यायालय की अधिकारिता की क्षेत्रीय सीमाओं से बाहर था। अनुच्छेद 226(1) और 226(2) के उपबंधों के बीच इस अंतर को बनाए रखना होगा। जबकि अनुच्छेद 226 (1) उच्च न्यायालय को अपनी क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर किसी व्यक्ति, प्राधिकरण या सरकार को रिट जारी करने का अधिकार देता है जहां वादहेतुक उत्पन्न हुआ हो, अनुच्छेद 226 (2) उच्च न्यायालयों को अपनी क्षेत्रीय सीमाओं से परे स्थित व्यक्तियों, अधिकारियों या सरकारों को रिट जारी करने में सक्षम बनाता है, बशर्ते कि उक्त उच्च न्यायालय की क्षेत्रीय सीमा के भीतर वादहेतुक (पूर्ण या आंशिक रूप से) उत्पन्न हो। **अनुच्छेद 226(2) ने उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को उन मामलों में विस्तृत किया है जहाँ वादहेतुक उसके अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न होता है। इसलिए, अनुच्छेद 226 (2) अनुच्छेद 226 (1)को विस्तृत करता है, उसे प्रतिस्थापित नहीं।** राजस्थान राज्य और अन्य बनाम स्वाइका प्रॉपर्टीज और अन्य: 1985 (3) एससीसी 217, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग बनाम उत्पल कुमार बसु और अन्य: 1994 (4) एससीसी 711 के साथ-साथ अदानी एक्सपोर्ट्स (पूर्वोक्त) और कुसुम इंगोट्स (पूर्वोक्त) मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय संविधान के अनुच्छेद 226 (2) से संबंधित है और वादहेतुक के प्रश्न को सम्बोधित करते हैं। **यह सच है, जैसा कि कुसुम इंगोट्स (पूर्वोक्त) में देखा गया है, जहां तक वादहेतुक का संबंध है, खजूर सिंह (पूर्वोक्त) मामले में निर्णय प्रासंगिक नहीं होगा क्योंकि खजूर सिंह (पूर्वोक्त) संविधान के 15 वें संशोधन से पहले दिया गया निर्णय था। लेकिन, इसका आशय यह नहीं है कि खजूर सिंह (पूर्वोक्त) ने अनुच्छेद 226 (1) के संबंध में जो निर्णय लिया गया है, उसे विघटित या अनदेखा किया जा सकता है। यह उच्चतम न्यायालय के सात***

<u>न्यायाधीशों का निर्णय है और अनुच्छेद 226 (1) के प्रावधानों के संबंध में यह निश्चित है।</u>

[ज़ोर दिया गया]

67. इस प्रकार, पूर्वोक्त चर्चा से निकलने वाले प्रमुख पहलुओं को तुरंत चित्रित किया जा सकता है:

(i) अनुच्छेद 226 (2) *अनुपयुक्त मंच* के आधार पर किसी मामले को खारिज करने के लिए उच्च न्यायालय के अधिकार को नहीं छीनता है। *अनुपयुक्त मंच* और अनुच्छेद 226 (2) के सिद्धांत अलग-अलग क्षेत्रों में संचालित होते हैं, जहां अनुच्छेद 226 (2) (मूल रूप से अनुच्छेद 226 (1 क)) को ऐसे वादी की समस्या को हल करने के लिए डाला गया था जिसे उस उच्च न्यायालय में जाना होता है जहां सरकारी प्राधिकरण का पद मौजूद हो।

(ii) दूसरे शब्दों में, अपने अधिकारक्षेत्र में किसी भी सरकारी प्राधिकरण की अनुपस्थिति में अनुच्छेद 226(2) उच्च न्यायालय को अधिकारक्षेत्र प्रदान करने की अनुमति देता है; इसका मतलब यह नहीं है कि पद की उपस्थिति अपने आप अधिकार क्षेत्र प्रदान करेगी।

(iii) यदि वादहेतुक आंशिक या पूर्ण रूप से उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न हुआ था, अनुच्छेद 226(2) क्षेत्राधिकार प्रदान करने की अनुमति देता है हालांकि, जहां कथित वादहेतुक इतना मामूली है कि उसके लिए कोई विशेष

उच्च न्यायालय का चयन गैर-सुविधाजनक हो, तब *अनुपयुक्त मंच* की अवधारणा लागू होती है।

68. 'वादहेतुक' का अर्थ तथ्यों का एक ऐसा समूह है, जो कार्यवाही में सफल होने के लिए वादी द्वारा साबित किए जाने आवश्यक हो। यह पूरी तरह से वादी द्वारा मांगी गई राहत के स्वरूप पर निर्भर नहीं करता है। बल्कि यह वह आधार है जिसके द्वारा वादी अपने पक्ष में निर्णय तक पहुंचने के लिए न्यायालय के समक्ष दावा करता है। यह वादी के अधिकार और उसके व्यतिक्रम पर निर्भर करता है।

69. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 20, 'वादहेतुक' शब्द की एक सामान्य परिभाषा प्रदान करती है जिसका अर्थ *तथ्य है, जिसे निर्णय प्राप्त करने के अधिकार के समर्थन में स्थापित करना आवश्यक है।*

70. एडवांस्ड लॉ लेक्सिकन के तृतीय संस्करण, खंड 1 में *पी. रामनाथ अय्यर* ने 'वादहेतुक' को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया है:

> *"'वादहेतुक' को केवल एक तथ्यात्मक स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है, जो किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय से उपचार प्राप्त करने का अधिकार देता है। यह वाक्यांश शुरुआती समय से ऐसे हर तथ्य को शामिल करने के लिए रखा गया है जो निर्णय को वादी के पक्ष में लाने और प्रतिवादी द्वारा बचाव करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो। "वादहेतुक" का अर्थ प्रतिवादी द्वारा किया गया कोई ऐसा कार्य भी हो सकता है जो कार्रवाई का तकनीकी कारण ही नहीं बल्कि वादी को शिकायत का कारण या कार्रवाई करने वाली शिकायत की विषय-वस्तु दे।"*

71. इसी तरह, ब्लैक लॉ डिक्शनरी (8 वां संस्करण 2004), निम्नलिखित शब्दों में 'वादहेतुक ' को परिभाषित करता है:

> *"मुकदमा करने के लिए एक या अधिक आधार को जन्म देने वाले कार्यकारी तथ्यों का एक समूह; एक तथ्यात्मक पृष्ठभूमि जो न्यायालय के माध्यम से एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से उपचार प्राप्त करने का अधिकार देती है.....॥"*

72. लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड (4वां संस्करण) में हाल्सबरी द्वारा निम्नानुसार कहा गया है:

> *"'वादहेतुक' को केवल एक तथ्यात्मक पृष्ठभूमि के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसका अस्तित्व न्यायालय के माध्यम से एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से उपचार प्राप्त करने का अधिकार देता है। यह वाक्यांश शुरुआती समय से ऐसे हर तथ्य को शामिल करने के लिए रखा गया है जो निर्णय को वादी के पक्ष में लाने और प्रतिवादी द्वारा बचाव करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो। "वादहेतुक" का अर्थ प्रतिवादी द्वारा किया गया कोई ऐसा कार्य भी हो सकता है जो कार्रवाई का तकनीकी कारण ही नहीं बल्कि वादी को शिकायत का कारण या कार्रवाई के लिए शिकायत की विषय-वस्तु दे।''*

73. माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***ब्लूम डेकोर लिमिटेड बनाम सुभाष हिमतलाल देसाई*** मामले में निम्नानुसार माना:

> *28. '' वादहेतुक'' का तात्पर्य ऐसा हर वह तथ्य है, जिनका यदि उल्लंघन किया जाए तो यह वादी द्वारा न्यायालय का निर्णय अपने पक्ष में लाने के लिए साबित करना आवश्यक होगा। दूसरे शब्दों में, तथ्यों का एक समूह, जिसे वादी को मुकदमे में सफल होने के लिए साबित करना आवश्यक हो। (कुक बनाम गिल [1873 एलआर 8 सीपी 107: 42 एलजेसीपी 98]).॥*

74. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के संदर्भ में वादहेतुक शब्द का अर्थ और दायरा माननीय उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों द्वारा चर्चित और तय किया गया है। ***तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (पूर्वोक्त)*** मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने निम्नानुसार निर्णय दिया है:

> *"6. यह सुस्थापित है कि अभिव्यक्ति - ''वादहेतुक'' का अर्थ तथ्यों का वह समूह है, जिनका यदि उल्लंघन किया जाए तो वह वादी द्वारा न्यायालय का निर्णय अपने पक्ष में लाने के लिए साबित करना आवश्यक होगा।। **चंद कौर बनाम प्रताप सिंह** [आईएलआर (1889) 16 कैल 98, 102: 15 आईए 156] मामले में लॉर्ड वाटसन ने कहा:*
>
> *... वादहेतुक का बचाव से कोई संबंध नहीं है जो प्रतिवादी द्वारा स्थापित किया जा सकता है, न ही यह वादी द्वारा प्रार्थना की गई राहत की प्रकृति पर निर्भर करता है। यह पूरी तरह से वादहेतुक के रूप में वाद में निर्धारित आधार को संदर्भित करता है, या, दूसरे शब्दों में, उस माध्यम को, जिसके द्वारा वादी न्यायालय से अपने पक्ष में निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कहता है।"*
>
> *इसलिए, अधिकार क्षेत्र की कमी की आपत्ति का निर्धारण करने में, न्यायालय को वादहेतुक के समर्थन में दिए गए सभी तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए, परन्तु उक्त तथ्यों की शुद्धता या अन्यथा के रूप में जांच शुरू किए बिना। दूसरे शब्दों में, इस सवाल का जवाब कि क्या उच्च न्यायालय के पास रिट याचिका पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है, याचिका में किए गए कथनों के आधार पर दिया जाना चाहिए, जिसकी सच्चाई या अन्यथा सारहीन हो। दूसरे शब्दों में कहें तो क्षेत्राधिकार के प्रश्न का निर्णय याचिका में दिए गए तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए।"*

75. ***ओम प्रकाश श्रीवास्तव*** (पूर्वोक्त) के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया है:

"11. यह स्थापित कानून है कि "वादहेतुक"तथ्यों का एक समूह होता है, जो न्यायालय में निवारण के लिए कानूनी जांच को लागू करने का कारण देता है। दूसरे शब्दों में, यह तथ्यों का एक समूह है, जो उन पर लागू कानून के साथ, वादी को प्रतिवादी के विरुद्ध राहत का दावा करने का अधिकार देता है। इसमें प्रतिवादी द्वारा किए गए कुछ कार्य शामिल होने चाहिए क्योंकि इस तरह के कार्य की अनुपस्थिति में कार्रवाई का कोई कारण संभवतः अर्जित या उत्पन्न नहीं होगा। [साउथ ईस्ट एशिया शिपिंग कंपनी लिमिटेड बनाम नव भारत एंटरप्राइजेज (पी) लिमिटेड [(1996) 3 एससीसी 443 देखें]

12. अभिव्यक्ति - ''वादहेतुक'' ने न्यायिक रूप से तय अर्थ अर्जित कर लिया है। कम शब्दों में - ''वादहेतुक'' का अर्थ है कि अधिकार का उल्लंघन या प्रतिक्रिया के लिए तत्काल अवसर प्रदान करने वाली परिस्थितियां। व्यापक अर्थों में, इसका मतलब वाद के संधार्यता की आवश्यक शर्तें हैं, जिसमें केवल अधिकार का अतिक्रमण ही नहीं बल्कि अधिकार और अतिक्रमण दोनों शामिल है। अनिवार्य रूप से, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अभिव्यक्ति का अर्थ प्रत्येक ऐसा तथ्य है, जिसके अतिक्रमण पर उसका न्यायालय के निर्णय के समक्ष अपने अधिकार के समर्थन हेतु वादी द्वारा साबित किया जाना आवश्यक है। "वादहेतुक" में प्रत्येक तथ्य जिसे साबित करना आवश्यक है और उसके मुकाबले हर वह साक्ष्य जो हर तथ्य को साबित करने के लिए आवश्यक है, समाहित है। (राजस्थान उच्च न्यायालय अधिवक्तागण संघ बनाम भारत संघ [(2001) 2 एससीसी 294 देखें]। ॥

76. ***कुसुम इंगोट्स*** (पूर्वोक्त) के ऐतिहासिक निर्णय में, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वादहेतुक के संबंध में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई थी, जो निम्नानुसार है:-

"9.---

इस मामले पर आगे चर्चा करने से पहले यह बताया जा सकता है कि प्रस्तुत किए गए तथ्यों के पूरे समूह का वादहेतुक बनना आवश्यक नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा डिक्री प्राप्त करने से पहले विषयगत तथ्य

को साबित करना आवश्यक है। महत्वपूर्ण तथ्य अभिव्यक्ति को अभिन्न तथ्यों के रूप में भी जाना जाता है''

77. ***राजस्थान उच्च न्यायालय अधिवक्तागण संघ बनाम भारत संघ*** मामले में, वादहेतुक कहां उत्पन्न होता है, इस प्रश्न का उत्तर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया था, जिसने यह माना था कि यह प्रत्येक मामले के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। उक्त निर्णय का प्रासंगिक पैराग्राफ निम्नानुसार है:

"17. अभिव्यक्ति - ''वादहेतुक'' ने न्यायिक रूप से तय अर्थ अर्जित कर लिया है। प्रकम शब्दों में - ''वादहेतुक'' का अर्थ है कि अधिकार का उल्लंघन या प्रतिक्रिया के लिए तत्काल अवसर प्रदान करने वाली परिस्थितियां। व्यापक अर्थों में, इसका मतलब वाद के संधार्यता की आवश्यक शर्तें हैं, जिसमें केवल अधिकार का अतिक्रमण ही नहीं बल्कि अधिकार और अतिक्रमण दोनों शामिल है। अनिवार्य रूप से, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अभिव्यक्ति का अर्थ प्रत्येक ऐसा तथ्य है, जिसके अतिक्रमण पर उसका न्यायालय के निर्णय के समक्ष अपने अधिकार के समर्थन हेतु वादी द्वारा साबित किया जाना आवश्यक है। "वादहेतुक" में प्रत्येक तथ्य जिसे साबित करना आवश्यक है और उसके मुकाबले हर वह साक्ष्य जो हर तथ्य को साबित करने के लिए आवश्यक है, समाहित है। वादहेतुक कहाँ उत्पन्न हो रहा है, यह प्रत्येक मामले के अनुसार निर्धारित करना होगा..."

78. यह प्रश्न कि क्या रिट याचिकाकर्ता द्वारा किसी विशेष मामले में बताए गए तथ्य, वादहेतुक का एक हिस्सा हैं, ***मनीष कुमार मिश्रा बनाम भारत संघ और अन्य*** मामले में, इलाहाबाद में माननीय उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा तय किया गया था। यह माना गया था कि इसका निर्धारण इस परीक्षण के आधार पर किया जाना चाहिए कि यदि इस प्रकार के तथ्य पक्षों के बीच

होने वाले *वाद* का महत्वपूर्ण, अनिवार्य एवं अभिन्न अंग हैं, यदि ऐसा है, तो यह वादहेतुक का हिस्सा बनता है और यदि यह नहीं है, तो यह वादहेतुक का हिस्सा नहीं बनता है। उक्त प्रश्न का निर्धारण करने में, मामले का सार और उसके रूप पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

79. ***मनीष कुमार मिश्रा*** (पूर्वोक्त) मामले में आगे यह कहा गया कि पक्षों द्वारा दलील दिए गए प्रत्येक तथ्य अपने आप में वादहेतुक नहीं बनेंगे, बल्कि यह ऐसे तथ्य होंगे जिनका मामले में शामिल *वाद* के साथ संबंध है। उक्त निर्णय का पैराग्राफ संख्या 148 निम्नानुसार है:

> *"148. रिट याचिका पर विचार करने हेतु उच्च न्यायालय को अधिकार क्षेत्र प्रदान करने के लिए न्यायालय को वादहेतुक के समर्थन में दिए गए पूरे तथ्यों से संतुष्ट होना चाहिए कि वह तथ्य कारण का गठन करते हैं ताकि न्यायालय को किसी विवाद का निर्णय करने का अधिकार मिल सके, जो कम से कम आंशिक रूप से, उनके अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न हुआ है। आवेदन में दिए गए प्रत्येक तथ्य से वास्तव में यह निष्कर्ष नहीं निकल सकता है कि वह तथ्य न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर वादहेतुक को जन्म देते हैं जब तक कि वे तथ्य ऐसे न हों जिनका मामले में शामिल वाद के साथ संबंध या प्रासंगिकता हो। तथ्य, जिनका मामले में शामिल वाद या विवाद से कोई लेना-देना नहीं है,"वादहेतुक" को जन्म नहीं देंगे, ताकि संबंधित न्यायालय को न्यायाधिकार क्षेत्र प्रदान किया जा सके, और केवल वे तथ्य जो न्यायालय के क्षेत्राधिकार के भीतर वादहेतुक को जन्म देते हैं जिनका उस मामले में शामिल वाद के साथ संबंध या प्रासंगिकता है, अनुच्छेद 226 के खंड (2) के संदर्भ में, न्यायालय के न्यायाधिकार क्षेत्र को लागू करने के उद्देश्य से प्रासंगिक होगा।"*

80. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के संबंध में 'वादहेतुक' का सिद्धांत, मामले के अभिन्न तथ्यों तक सीमित हो जाता है और वादहेतुक का

अवस्थान को तब उस स्थान के रूप में माना जाता है जहां महत्वपूर्ण, आवश्यक और अभिन्न तथ्य उत्पन्न होते हैं। उपयुक्त मंच के सिद्धांत से सम्बंधित वादहेतुक के *अवस्थान* की चर्चा ***नासिरुद्दीन बनाम स्टेट*** मामले में भी की गयी थी, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने संयुक्त प्रांत उच्च न्यायालय (समामेलन) आदेश, 1948 के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए कानून की अभिव्यक्ति इस प्रकार की थी:

> *"37.उच्च न्यायालय का निष्कर्ष और तर्क गलत है। यह निराधार है क्योंकि अनुच्छेद 226 के अधीन किसी आवेदन में लिखित 'वादहेतुक' अभिव्यक्ति के रूप में समझा जाएगा और यदि अपीलीय आदेश या पुनरीक्षण आदेश के कारण वादहेतुक उत्पन्न हुआ जो लखनऊ में पारित किया गया था, तो लखनऊ का अधिकार क्षेत्र होगा, हालांकि मूल आदेश अवध में क्षेत्रों के बाहर पारित किया गया था। यह हो सकता है कि मूल आदेश रिट के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के पक्ष में था। ऐसे मामले में प्रतिकूल अपीलीय आदेश वादहेतुक हो सकता है। अभिव्यक्ति 'वादहेतुक' सुप्रसिद्ध है। यदि वादहेतुक निर्दिष्ट अवध क्षेत्रों के भीतर किसी स्थान पर पूरी तरह या आंशिक रूप से उत्पन्न होता है, तो लखनऊ पीठ का अधिकार क्षेत्र होगा। यदि वादहेतुक पूरी तरह से निर्दिष्ट अवध क्षेत्र में उत्पन्न होता है, तो यह निर्विवाद है कि लखनऊ पीठ के पास ऐसे मामले में विशेष अधिकार क्षेत्र होगा। यदि वादहेतुक पूर्ण रूप से अवध के निर्दिष्ट क्षेत्रों के भीतर उत्पन्न होता है, तो मुख्य वादी अपने अनुसार उपयुक्त मंच चुन सकता है। **वादी को ऐसे न्यायालय में जाने का अधिकार है जहां वादहेतुक का हिस्सा उत्पन्न होता है। ऐसे मामलों में, यह कहना गलत है कि वादी किसी विशेष न्यायालय को चुनता है। चुनाव न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न होने वाली कार्रवाई के हिस्से से मेल खाने के कारण है। इसी प्रकार, यदि वादहेतुक अवध में निर्दिष्ट क्षेत्रों के भीतर और निर्दिष्ट अवध क्षेत्रों के बाहर का हिस्सा कहा जा सकता है, तो वादी के पास इलाहाबाद या लखनऊ में कार्यवाही शुरू करने का विकल्प होगा। न्यायालय प्रत्येक मामले में यह***

<u>पता लगाएगा कि क्या न्यायालय का अधिकार क्षेत्र कथित वादहेतुक से सही तरीके से मेल खाता है।"</u>

[ज़ोर दिया गया]

81. उपरोक्त उद्धृत मामला *उपयुक्त मंच* सिद्धांत के संदर्भ में चर्चा योग्य है, जिसे पी. रामनाथ अय्यर द्वारा एडवांस्ड लॉ लेक्सिकॉन के तीसरे संस्करण में निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया है:

"सिद्धांत है कि किसी मामले को उसी स्थान के न्यायालय में सुना जाना चाहिए जहां पक्ष, गवाह और सबूत मुख्य रूप से स्थित हैं"

82. ब्लैक का लॉ डिक्शनरी (8 वां संस्करण 2004), *उपयुक्त मंच* को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित करता है:-

"वह न्यायालय जिसमें पक्षों और गवाहों के हितों और सुविधा को ध्यान में रखते हुए सबसे उपयुक्त रूप से कार्रवाई की जाती है"

83. ***तेहरान बनाम गृह विभाग के लिए राज्य के सचिव*** में प्रभु सदन ने निम्नलिखित शब्दों में सिद्धांत की व्याख्या की:

"उपयुक्त मंच का सिद्धांत न्यायिक प्राधिकरण द्वारा स्थापित तर्क का एक अच्छा उदाहरण है, क्यों किसी न्यायालय को उस अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो (सख्त अर्थों में) उसके पास है। अनुपयुक्त मंच का मुद्दा तब तक नहीं उठता जब तक कि प्रतिस्पर्धी न्यायालय न हों, जिनमें से प्रत्येक के पास विवाद की विषय वस्तु से निपटने का अधिकार क्षेत्र (सख्त अर्थों में) है। मुझे यह स्पष्ट लगता है कि यदि दो प्रतिस्पर्धी न्यायालयों में से एक के पास अधिकार क्षेत्र का अभाव है (सख्त अर्थों में) तो अनुपयुक्त मंच की दलील कभी भी दूसरे न्यायालय द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने के लिए बाधा नहीं हो सकती है।"

84. इस सिद्धांत को ***गल्फ ऑयल कॉर्पोरेशन बनाम गिल्बर्ट*** *मामले* में संयुक्त राज्य उच्चतम न्यायालय के निर्णय में भी समझाया गया था, जिसमें इसे निम्नानुसार माना गया था:

> *"अनुपयुक्त मंच का सिद्धांत बस यह है कि न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र पर थोपने का विरोध कर सकती है, भले ही क्षेत्राधिकार सामान्य स्थल क़ानून के पत्र द्वारा अधिकृत हो। इन विधियों को आवश्यक सामान्यता के साथ तैयार किया जाता है और आमतौर पर वादी को न्यायालयों का विकल्प दिया जाता है, ताकि वह अपने उपाय को आगे बढ़ाने के लिए किसी स्थान के बारे में सुनिश्चित हो सके। लेकिन यह विकल्प शायद वादी को न्याय दिलाने के साथ-साथ उत्पीड़न का शिकार भी बना दे। वादी कभी-कभी किसी विरोधी के लिए सबसे असुविधाजनक जगह पर मुकदमे करने की रणनीति का सहारा लेने के प्रलोभन में होता है, यहां तक कि खुद को कुछ असुविधा देकर भी"*

85 ***कुसुम इंगोट्स*** (पूर्वोक्त) मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने उपयुक्त मंच के सिद्धांत का भी उल्लेख किया है। उक्त निर्णय का पैराग्राफ संख्या 30 इस प्रकार है: -

> *"30. हालांकि, हमें खुद को याद दिलाना चाहिए कि भले ही वादहेतुक का एक छोटा सा हिस्सा उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न होता है, लेकिन इसे अपने आप में एक निर्धारक कारक नहीं माना जा सकता है जो उच्च न्यायालय को योग्यता के आधार पर मामले का फैसला करने के लिए मजबूर करता है। उपयुक्त मामलों में, न्यायालय उपयुक्त मंच के सिद्धांत को लागू करके अपने विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार कर सकता है। 33 [देखें भगत सिंह बुग्गा बनाम दीवान जगबीर साहनी [एआईआर 1941 कैल 670], मदनलाल जालान बनाम मदनलाल [एआईआर 1949 कैल 495], भारत कोकिंग कोल लिमिटेड बनाम झरिया टॉकीज एंड कोल्ड स्टोरेज (पी) लिमिटेड [1997 सीडब्ल्यूएन 122], एसएस जैन एंड कंपनी बनाम भारत*

संघ [(1994) 1 सीएचएन 445] और न्यू होरिजोंस लिमिटेड बनाम भारत संघ [एआईआर 1994 डेल 126]॥"

86. ***स्टर्लिंग एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भारत संघ,*** में इस अदालत की एक विशेष पीठ द्वारा उपयुक्त मंच के सिद्धांत को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया था, जिसमें ने निम्नलिखित शब्दों में उपयुक्त मंच से संबंधित कानून निर्धारित किया था: -

33. उपरोक्त विश्लेषण के मद्देनजर, हम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (पूर्वोक्त) में पूर्ण पीठ के जांच-परिणामों और निष्कर्षों को संशोधित करने के इच्छुक हैं और अपने निष्कर्षों को निम्नलिखित शब्दों में अभिव्यक्त करते हैं:

(क)पूर्ण पीठ द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष की कार्रवाई का एकमात्र कारण उस स्थान या जगह में उभरता है जहां अधिकरण/अपीलीय प्राधिकरण/पुनरीक्षण प्राधिकरण स्थित है और उक्त उच्च न्यायालय (दिल्ली उच्च न्यायालय) रिट याचिका पर विचार करने से इनकार नहीं कर सकता क्योंकि यह न्यायालय के कर्तव्य की में विफल होने के समान होगा क्योंकि ऐसा निष्कर्ष पूरी तरह से अधिकरण/अपीलीय प्राधिकरण/पुनरीक्षण प्राधिकरण के अवस्थान पर आधारित है और अपयुक्त मंच के अवधारणा की पूरी तरह से अनदेखी कर रहा है।

(ख) यहां तक कि अगर वादहेतुक का एक छोटा-सा हिस्सा इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न होता है, तो रिट याचिका इस न्यायालय के समक्ष सुनवाई योग्य होगी, हालांकि, वादहेतुक को अल्केमिस्ट लिमिटेड (पूर्वोक्त) मामले में निर्धारित अनुपात के अनुसार समझा जाना चाहिए।

(ग) अपीलीय प्राधिकारी का आदेश, रिट याचिका को उस उच्च न्यायालय में, जिसकी अधिकारिता में अपीलीय प्राधिकारी अवस्थित है, विचारणीय बनाने के लिए वादहेतुक का भाग बनता है। फिर भी, उच्च न्यायालय को गुणावगुण के आधार पर मामले का निर्णय करने के लिए बाध्य करने के लिए यही एकमात्र कारक नहीं हो सकता है। उच्च न्यायालय उपयुक्त

मंच के सिद्धांत को लागू करके अपने विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार कर सकता है।

(घ) यह निष्कर्ष कि जहां अपीलीय या पुनरीक्षण प्राधिकारी स्थित है, पूर्ण पीठ द्वारा निरपेक्ष शब्दों में बताए गए उपयुक्त मंच के स्थान का गठन करता है, सही नहीं है क्योंकि यह हर मामले में भिन्न होगा और प्रश्नगत वाद पर निर्भर करेगा।

(ङ) यदि केवल अधिकार क्षेत्र को दुर्भावनापूर्ण तरीके से लागू किया गया है तो यह निष्कर्ष कि न्यायालय अनुच्छेद 226 के अधीन अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार कर सकता है, बहुत प्रतिबंधित/संकुचित है क्योंकि अनुच्छेद 226 के अधीन शक्ति का प्रयोग विवेकाधीन होने के कारण केवल दुर्भावनापूर्ण तरीकों के आधार पर परिसीमित या प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है।

(च) किसी रिट याचिका पर विचार करते समय, उपयुक्त मंच के सिद्धांत और वादहेतुक की प्रकृति की उच्च न्यायालय द्वारा जांच की जानी आवश्यक है, जो अंबिका इंडस्ट्रीज (पूर्वोक्त) और अडानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (पूर्वोक्त) में कही गई बातों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मामले के तथ्यात्मक पृष्ठभूमि पर निर्भर करता है।

(छ) न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (पूर्वोक्त) में पूर्ण पीठ के पहले के निर्णय का निष्कर्ष - "कि चूंकि मूल आदेश अपीलीय आदेश में विलय हो जाता है, इसलिए जिस स्थान पर अपीलीय प्राधिकारी स्थित है, वह भी उपयुक्त मंच है" सही नहीं है।

(ज) इस न्यायालय का कोई भी निर्णय, जो ऊपर दिए गए निष्कर्षों के विपरीत है, को खारिज कर दिया जाता है।"

87. ***अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाम विनय इंजीनियरिंग एंटरप्राइजेज (पी) लिमिटेड*** के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रत्यार्थीगण द्वारा अधिकार क्षेत्र के दुरुपयोग पर प्रकाश डालते हुए निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है: -

"2. हमें काफी आश्चर्यचकित हैं कि कलकत्ता उच्च न्यायालय को ऐसे मामले में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना चाहिए था जहां उसका कोई

अधिकार क्षेत्र नहीं था। विचाराधीन संविदाएं अलीगढ़ में निष्पादित की गई थीं, निर्माण कार्य अलीगढ़ में किया जाना था, यहां तक कि अनुबंध में यह प्रावधान किया गया था कि विवाद की स्थिति में अकेले अलीगढ़ न्यायालय का अधिकार क्षेत्र होगा। मध्यस्थ अलीगढ़ का रहने वाला था और उसे वहीं काम करना था। केवल इसलिए कि प्रत्यर्थी कलकत्ता स्थित एक फर्म थी, ऐसा लगता है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने किसी विचित्र तर्क के आधार पर अधिकार क्षेत्र न होने के बाद भी उसका प्रयोग किया है। हम यह कहने के लिए बाध्य हैं कि यह अधिकार क्षेत्र के दुरुपयोग का मामला है और हमें लगता है कि प्रत्यर्थी ने इस तथ्य की अनदेखी करते हुए कि वादहेतुक का कोई हिस्सा कलकत्ता न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न नहीं हुआ जानबूझकर उस उच्च न्यायालय का रुख किया था। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय में दायर मुकदमा पूरी तरह से असंधार्य था"

88. ***गोवा राज्य*** *(पूर्वोक्त)* के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि इस प्रश्न का निर्धारण कि क्या प्रस्तुत किए गए तथ्य जो वाद हेतुक का हिस्सा हैं, संविधान के अनुच्छेद 226 के खंड (2) को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त हैं या नहीं, में आवश्यक रूप से उच्च न्यायालय द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए एक कार्य शामिल होगा कि तथ्य, जैसा कि प्रस्तुत किए गए हैं, वाद हेतुक के एक भौतिक, आवश्यक या अभिन्न अंग हैं। इस प्रकार निर्धारण में, मामले का सार ही प्रासंगिक है। इसलिए, यह इस प्रकार कहता है कि रिट अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने वाले पक्ष को यह प्रकट करना होगा कि वाद हेतुक के समर्थन में दिए गए अभिन्न तथ्य उच्च न्यायालय को विवाद का निर्णय करने के लिए सशक्त बनाने वाले एक कारण का गठन करते हैं और, कम से कम, उच्च न्यायालय को प्रभावित करने के लिए वाद हेतुक का एक हिस्सा उसके अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न हुआ

है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि इस तरह के अनुरोधित तथ्यों का चुनौती की विषय वस्तु के साथ संबंध होना चाहिए जिसके आधार पर प्रार्थना स्वीकार की जा सकती है। वे तथ्य जो प्रार्थना की मंजूरी के लिए प्रासंगिक या संबंधित नहीं हैं, वे न्यायालय पर अधिकार क्षेत्र प्रदान करने वाले वाद हेतुक को जन्म नहीं देंगे।

89. उक्त निर्णय के पैराग्राफ सं. 21 में, यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि यह मानते हुए कि वाद हेतुक का एक छोटा सा हिस्सा विशेष उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न होता है, उपयुक्त मंच की अवधारणा पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जाना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***कुसुम इंगोट्स*** *(पूर्वोक्त)* और ***अंबिका इंडस्ट्रीज बनाम सीसीई*** के मामलों में दिए गए निर्णयों पर भरोसा करते हुए कहा कि भले ही वाद हेतुक का एक छोटा सा हिस्सा उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न होता है, उसे ही अपने आप में उच्च न्यायालय को रिट याचिकाओं को जीवित रखने के लिए बाध्य करने वाला निर्धारक कारक नहीं होना चाहिए।

90. ***हेइज़ा बॉयलर्स (आई) प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ*** के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय का संदर्भ देना उचित है, जिसके अंतर्गत, वाद हेतुक बनने वाले तथ्यों के बंडल में सामग्री और आवश्यक तथ्यों का पता लगाने के सिद्धांत पर निम्नानुसार चर्चा की गई:

*"14. सिद्धांत ये हैं; ऐसे तथ्य जिनका वाद या मामले में शामिल विवाद से कोई लेना-देना नहीं है, वे वाद हेतुक को जन्म नहीं देते हैं ताकि किसी न्यायालय को क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र प्रदान किया जा सके। देखने वाली बात यह है कि क्या कोई ऐसा विशेष तथ्य जिसमें बल है और जिसे कहा जा सकता है कि वह पक्षकारगण के बीच सूची का भौतिक, अभिन्न या आवश्यक हिस्सा है। यदि ऐसा है, तो यह वाद हेतुक के एक हिस्से का गठन करता है। यदि ऐसा नहीं है, तो यह वाद हेतुक के हिस्से का गठन नहीं करता है। प्रश्न का निर्धारण करते समय मामले के सार पर विचार किया जाना चाहिए, न कि उसके रूप पर। इस प्रश्न का उत्तर कि क्या नोटिस की तामील अनुच्छेद 226(2) के अर्थ के अंतर्गत वाद हेतुक का एक अभिन्न अंग है, वाद हेतुक को जन्म देने वाले आक्षेपित आदेश या कार्रवाई की प्रकृति पर निर्भर होना चाहिए, और यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण यह है कि क्या आदेश या कार्रवाई पर प्रश्न उठाने के लिए रिट याचिका में नोटिस की तामील के तथ्य का अभिवाक् देना और इसे साबित करना आवश्यक है। **केवल वे तथ्य जिनके प्रमाण के बिना कार्रवाई विफल होनी चाहिए, वाद हेतुक बनने वाले तथ्यों के बंडल में भौतिक और आवश्यक तथ्य हैं। इसलिए एक तथ्य जिसके प्रमाण के बिना कोई रिट याचिका विफल नहीं होगी, वाद हेतुक का अभिन्न अंग नहीं है, और, तदनुसार, यह नहीं कहा जा सकता कि वाद हेतुक का एक हिस्सा उस स्थान पर उत्पन्न हुआ है जहाँ तथ्य से संबंधित घटना हुई है"।***

[जोर दिया गया]

91. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य पर, यह स्पष्ट रूप से देखा जाता है कि यह प्रश्न कि क्या वाद हेतुक किसी न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न हुआ है, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर उत्तर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार, वाद हेतुक में सभी प्रस्तुत तथ्य शामिल नहीं हैं; बल्कि इसका निर्धारण उन अभिन्न, आवश्यक और भौतिक तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए जिनका वाद से संबंध है।

92. यह भी विधि का एक स्थापित प्रस्ताव है कि जिस स्थान पर अधिकरण/अपीलीय प्राधिकारी/पुनरीक्षण प्राधिकारी स्थित है, वह उपयुक्त मंच की अवधारणा को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए, वाद हेतुक के संचय का अवस्थान निर्धारित करने के लिए एकमात्र विचार नहीं होगा। इसलिए, भले ही वाद हेतुक का एक छोटा सा हिस्सा स्थापित हो, और उसे वाद के लिए गैर-अभिन्न या गैर-भौतिक पाया जाता है, न्यायालय अनुपयुक्त मंच के सिद्धांत को लागू कर सकता है और अपने रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार कर सकता है, यदि इसके लिए कोई वैकल्पिक, अधिक प्रभावी मंच मौजूद है।

93. ***गोवा राज्य*** *(पूर्वोक्त)* के मामले में निर्णय के पैराग्राफ संख्या 10 का परिशीलन यह दर्शाता है कि इनमें से एक प्रार्थना सिक्किम राज्य द्वारा जारी अधिसूचना के विरुद्ध चुनौती से संबंधित है। साथ ही, उक्त मामले में याचिकाकर्ता कंपनी का कार्यालय भी सिक्किम राज्य में स्थित था। हालाँकि, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर विचार करते हुए कि वाद हेतुक का एक छोटा हिस्सा उत्पन्न हुआ है, यह अभिनिर्धारित किया कि सिक्किम उच्च न्यायालय के पास याचिका पर विचार करने के लिए अपेक्षित अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि वाद हेतुक का बड़ा हिस्सा दूसरे उच्च न्यायालय में उत्पन्न हुआ है। यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि न तो संबंधित

सरकार द्वारा जारी अधिसूचना, न ही कार्यालय के स्थान को वाद हेतुक निर्धारित करने के लिए भौतिक तथ्य माना गया था।

94. ***तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग बनाम उत्पल कुमार बसु और अन्य*** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय को माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा एक रिट याचिका पर विचार करने के लिए क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के प्रश्न पर विचार करने का अवसर मिला था। याचिकाकर्ता द्वारा माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल इस आधार पर किया गया था कि याचिकाकर्ता को समाचार पत्र में एक प्रकाशन से निविदा के बारे में पता चला था जो माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में था। याचिकाकर्ता ने उसी अधिकार क्षेत्र के भीतर स्थित पंजीकृत कार्यालय से अपनी निविदा प्रस्तुत की। माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय से एक संशोधित मूल्य बोली भी प्रस्तुत की गई थी और उक्त उच्च न्यायालय से न्याय की मांग करते हुए एक अभ्यावेदन भी दिया गया था।

95. माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय में याचिकाकर्ता की ओर से दी गई दलीलों को खारिज कर दिया कि या तो किसी विशेष स्थान पर मीडिया के माध्यम से ज्ञान का अधिग्रहण; या किसी कार्यालय या संपत्ति का मालिक होना या किसी विशेष स्थान पर रहना; किसी विशेष स्थान पर फैक्स संदेश प्राप्त करना, टेलीफोन कॉल प्राप्त करना, व्यवसायों के लेखों का विवरण बनाए रखना, फर्म के शाखा कार्यालय को इंगित करने वाले लेटरहेड की छपाई,

किसी विशेष स्थान से ऑर्डर की बुकिंग आदि, ऐसे कारक नहीं हैं जो पूरी तरह या आंशिक रूप से न्यायालयों को क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र प्रदान करने वाले वाद हेतुक बनेंगे। उक्त मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि केवल नोटिस की तामील भी वाद हेतुक को जन्म देने वाला तथ्य नहीं है, जब तक कि ऐसा नोटिस वाद हेतुक का अभिन्न अंग न हो।

96. उपरोक्त अभिव्यक्तियों का उपयोग माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ***अडानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और अन्य*** (पूर्वोक्त) के मामले में उसके पैराग्राफ सं. 19 में किया गया है। उक्त पैराग्राफ का उद्धरण निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है: -

> *—19. .....*
>
> *ओएनजीसी के मामले में इस न्यायालय ने प्रत्यर्थीगण की ओर से दी गई दलीलों को खारिज कर दिया कि या तो किसी विशेष स्थान पर मीडिया के माध्यम से ज्ञान का अधिग्रहण; या किसी कार्यालय या संपत्ति का मालिक होना या किसी विशेष स्थान पर रहना; किसी विशेष स्थान पर फैक्स संदेश प्राप्त करना, टेलीफोन कॉल प्राप्त करना, व्यवसायों के लेखों का विवरण बनाए रखना, फर्म के शाखा कार्यालय को इंगित करने वाले लेटरहेड की छपाई, किसी विशेष स्थान से ऑर्डर की बुकिंग आदि, ऐसे कारक नहीं हैं जो पूरी तरह या आंशिक रूप से न्यायालयों को क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र प्रदान करने वाले वाद हेतुक बनेंगे। उक्त मामले में, इस न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि केवल नोटिस की तामील भी वाद हेतुक को जन्म देने वाला तथ्य नहीं है, जब तक कि ऐसा नोटिस वाद हेतुक का अभिन्न अंग न हो।"*

97. ***अडानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और अन्य*** (पूर्वोक्त) के मामले में, अहमदाबाद में उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र को स्थापित करने के लिए, याचीगण द्वारा किए गए कथनों को उक्त निर्णय के पैराग्राफ संख्या 6 में देखा गया है, जिसे निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

> *—6. उपरोक्त मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए, पहले उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र को स्थापित करने के लिए विशेष सिविल आवेदनों में उठाए गए विवादों पर ध्यान देना आवश्यक है। वाद हेतुक और उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के संबंध में तर्क पैरा 16 में दिए गए आवेदनों में दिए गए हैं, जो इस प्रकार हैं:*
>
> ***"याचीगण अहमदाबाद से आयात-निर्यात का कारोबार करते हैं। निर्यात और आयात के ऑर्डर अहमदाबाद से दिए और निष्पादित किए जाते हैं। निर्यात और आयात के लिए दस्तावेज और भुगतान अहमदाबाद में भेजे/बनाए जाते हैं। निर्यात के संबंध में दावा किए गए शुल्क का क्रेडिट अहमदाबाद से संभाला गया क्योंकि निर्यात आदेश अहमदाबाद में प्राप्त हुए थे और भुगतान भी अहमदाबाद में प्राप्त हुआ था। उक्त पासबुक में क्रेडिट न देने और उपयोग करने से इनकार करने से अहमदाबाद में याचीगण का व्यवसाय प्रभावित होगा। प्रत्यर्थीगण 1 से 3 के क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद में हैं। वाद हेतुक का एक बड़ा हिस्सा इस माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है। इसलिए, इस माननीय न्यायालय के पास इस याचिका पर विचार करने, विचार करने और निपटाने का अधिकार क्षेत्र है।"***
>
> *[जोर दिया गया]*

98. ***अडानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और अन्य*** (पूर्वोक्त) के पैराग्राफ सं. 18 में, यह टिप्पणी की गई है कि प्रस्तुत किए गए तथ्यों का उक्त मामले में उत्पन्न हुए विवाद से कोई संबंध नहीं है। अहमदाबाद में प्रत्यर्थीगण के व्यवसाय पर अंतिम प्रभाव, यदि कोई हो, तो पासबुक में क्रेडिट न देने और

देने से इनकार करने पर भी अहमदाबाद के न्यायालय में अपीलार्थीगण के विरुद्ध शिकायत की गई कार्रवाइयों पर निर्णय लेने के लिए ऐसे किसी भी वाद हेतुक को जन्म देने पर विचार नहीं किया गया था।

99. ***तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग*** *(पूर्वोक्त)* के मामले में वापस जाते हुए, उसके पैराग्राफ सं. 12 में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने किसी घटना की दलील पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने की बढ़ती प्रवृत्ति की कड़ी निंदा की है, चाहे वह कितनी ही तुच्छ और वाद हेतुक से असंबद्ध हो और संबंधित उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की मांग कर रही हो, जिसके परिणामस्वरूप प्रक्रिया का दुरुपयोग हो रहा है। ***तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग*** *(पूर्वोक्त)* के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पैराग्राफ सं. 12 में की गई टिप्पणियां निम्नानुसार हैं: -

> *"12. यह इंगित करते हुए कि अधिनियम की धारा 52(1) के तहत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद, अधिसूचित भूमि सभी बाधाओं से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित हो गई और इसलिए प्रत्यर्थीगण के लिए भूमि अधिग्रहण अधिसूचना को रद्द करने के लिए अनुच्छेद 226 के तहत उचित निर्देश या आदेश देने के लिए धारा 52(2) के तहत नोटिस की तामील का अनुरोध करना आवश्यक नहीं था। इसलिए, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि वाद हेतुक का कोई भी हिस्सा कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न नहीं हुआ। इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय में उन मामलों में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने और अंतरिम आदेश पारित करने की प्रचलित प्रथा पर गहरा खेद व्यक्त किया और निंदा की, जहाँ उसके पास क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का अभाव था। इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णय और उसमें संदर्भित पहले के निर्णयों में की गई कड़ी टिप्पणियों के बावजूद, हम इस बात से व्यथित हैं कि कलकत्ता उच्च न्यायालय उन मामलों में भी*

अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में लगा हुआ है, जहाँ वाद हेतुक का कोई भी हिस्सा उसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न नहीं हुआ है। ***<u>यह वास्तव में बहुत अफसोस की बात है कि देश के प्रमुख उच्च न्यायालयों में से एक ने केवल इस आधार पर अधिकार क्षेत्र ग्रहण करने की प्रवृत्ति विकसित की है कि याचिकाकर्ता पश्चिम बंगाल राज्य में एक पंजीकृत कार्यालय में रहता है या वहाँ से व्यवसाय करता है। हमें इस बात से और अधिक दुख होता है कि इस न्यायालय की बार-बार की गई टिप्पणियों के बावजूद, कुछ विद्वान न्यायाधीश उस प्रवृत्ति के साथ विश्वासघात कर रहे हैं।</u>***

[जोर दिया गया]"

100. याचीगण द्वारा की गई कुछ दलीलें जैसे कि याचीगण के पंजीकृत कार्यालयों या आवासों के अवस्थान, दिल्ली में संचार प्राप्त करने का तथ्य आदि ***तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग*** *(पूर्वोक्त)* के मामले में निर्धारित विधि से प्रभावित हैं।

101. वर्तमान रिट याचिकाओं के तथ्यों और परिस्थितियों की सराहना करने के लिए, यह न्यायालय इस न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र को लागू करने के लिए निर्धारित किए गए कथनों से संबंधित संबंधित रिट याचिकाओं के प्रासंगिक पैराग्राफ को पुनः पेश करना उचित समझता है।

102. रि.या. (सि) 15556/2023 का पैराग्राफ सं. 81 निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

—81. याचिकाकर्ता का पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में है। याचिकाकर्ता नई दिल्ली में अपना व्यवसाय करता है। प्रत्यर्थी सं. 1, सेबी और प्रत्यर्थीगण संख्या 2 से 8 के भी कार्यालय नई दिल्ली में हैं। आक्षेपित आदेश (दिनांक 10 नवंबर 2023 को एक ईमेल के माध्यम से संप्रेषित (अनुलग्नक पी - 2) और एक वास्तविक हार्ड कॉपी (अनुलग्नक पी - 1)

याचिकाकर्ता को नई दिल्ली में उसके पते पर प्राप्त हुई थी। आक्षेपित आदेश का प्रभाव याचिकाकर्ता द्वारा नई दिल्ली में महसूस किया जाता है, जहाँ से याचिकाकर्ता, सामान्य तौर पर, अपना व्यवसाय चलाता और संचालित करता है। आक्षेपित आदेश का प्रभाव नई दिल्ली में याचिकाकर्ता के कुछ शेयरधारकों पर भी महसूस किया गया है, जिन्हें याचिकाकर्ता ने निपटान आदेश के तहत निकास प्रदान करने की माँग की थी। इसलिए, वर्तमान वाद हेतुक, पूरी तरह या कम से कम आंशिक रूप से, नई दिल्ली में अर्थात् इस माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है। इसलिए याचिकाकर्ता का कहना है कि इस माननीय न्यायालय के पास वर्तमान याचिका पर विचार करने, विचारण करने और निपटाने का अधिकार क्षेत्र है।"

103. रि.या. (सि) 15557/2023 के पैराग्राफ सं. 64 को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है: -

—64. याचीगण का अपना पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में है जहाँ से याचिकाकर्ता अपना व्यवसाय करते हैं। प्रत्यर्थी सं. 1, सेबी और प्रत्यर्थी सं. 2 के कार्यालय भी नई दिल्ली में हैं। प्रत्यर्थी सं 3 से 6 के भी अपने पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में हैं। प्रत्यर्थी संख्या 7 का आवास नई दिल्ली में है। आक्षेपित आदेश (दिनांक 10 नवंबर 2023 को एक ईमेल के माध्यम से संप्रेषित (अनुलग्नक पी - 3) और एक वास्तविक हार्ड कॉपी (अनुलग्नक पी - 1 और अनुलग्नक पी - 2) याचीगण को नई दिल्ली में उनके पते पर प्राप्त हुई थी। आक्षेपित आदेश का प्रभाव नई दिल्ली में याचीगण द्वारा महसूस किया गया है, जहाँ से याचिकाकर्ता, सामान्य रूप से, अपना व्यवसाय चलाते और संचालित करते हैं। इसलिए, वर्तमान वाद हेतुक, पूरी तरह या कम से कम आंशिक रूप से, नई दिल्ली में अर्थात इस माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है। इसलिए याचीगण का कहना है कि इस माननीय न्यायालय के पास वर्तमान याचिका पर विचार करने, विचारण करने और निपटाने का अधिकार क्षेत्र है।"

104. रि.या. (सि) 15558/2023 का पैराग्राफ सं. 66 निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

"66. याचीगण सं. 1 से 4 तक का अपना पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में है जहाँ से वे अपना व्यवसाय करते हैं। याचिकाकर्ता संख्या 5 का आवास नई दिल्ली में है। प्रत्यर्थी सं. 1, सेबी, और प्रत्यर्थी सं. 2 से 4 के कार्यालय भी नई दिल्ली में हैं। आक्षेपित आदेश (दिनांक 10 नवंबर 2023 को एक ईमेल के माध्यम से संप्रेषित (अनुलग्नक पी-6) और वास्तविक हार्ड कॉपी (अनुलग्नक पी-3 से पी-5)) याचीगण सं. 3 से 5 को नई दिल्ली में उनके पते पर प्राप्त हुआ था। आक्षेपित आदेश का प्रभाव नई दिल्ली में याचीगण द्वारा महसूस किया गया है, जहाँ से याचिकाकर्ता, सामान्य रूप से, अपना व्यवसाय चलाते और संचालित करते हैं। इसलिए, वर्तमान वाद हेतुक, पूरी तरह या कम से कम आंशिक रूप से, नई दिल्ली में अर्थात इस माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है। इसलिए याचीगण का कहना है कि इस माननीय न्यायालय के पास वर्तमान याचिका पर विचार करने, विचारण करने और निपटाने का अधिकार क्षेत्र है।"

105. वर्तमान रिट याचिकाओं के संबंधित पैराग्राफों में दिए गए प्रकथनों और याचीगण की ओर से की गई प्रस्तुतियों के आधार पर, इस न्यायालय का अधिकार क्षेत्र मुख्य रूप से निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर लागू किया जाता है: -

(i) याचीगण के पंजीकृत कार्यालय दिल्ली में स्थित हैं और याचीगण अपना व्यवसाय भी दिल्ली में करते हैं;

(ii) सेबी और अन्य प्रत्यर्थीगण के दिल्ली में अपने स्थानीय कार्यालय भी हैं;

(iii) आक्षेपित आदेश और वास्तविक हार्ड कॉपी याचीगण द्वारा उनके दिल्ली के पते पर प्राप्त की गई थी;

(iv) आक्षेपित आदेश का प्रभाव दिल्ली में याचीगण द्वारा भी महसूस किया जाता है;

(v) रि.या. (सि) सं. 10756/2019 वाली याचिका दिल्ली में इस न्यायालय के समक्ष लंबित है;

(vi) याचीगण को किसी भी अन्य उच्च न्यायालय की तुलना में इस न्यायालय से संपर्क करने की सुविधा है;

(vii) शेयरधारक और शेयरधारिता अर्थात् शेयर का अवस्थान भी दिल्ली में है।

106. इन प्रकथनों का एक मात्र परिशीलन यह संकेत देगा कि इनमें से कोई भी भौतिक, आवश्यक या अभिन्न तथ्य नहीं है जिसका वर्तमान मामलों में शामिल पुलिस के साथ कोई संबंध हो।

107. इसके विपरीत, जैसा कि संबंधित रिट याचिकाओं में कहा गया है, कुछ शेयरधारकों की शिकायतों और अभ्यावेदन के अनुसार, मौजूदा नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए, मुंबई में सेबी द्वारा याचीगण को एससीएन दिनांक 28.10.2020 जारी किया गया था। उक्त एससीएन का उत्तर मुंबई में प्रस्तुत किया गया था और निपटान के लिए आवेदन भी मुंबई में प्रस्तुत किया गया था। इसलिए, निपटान आदेश के संबंध में याचीगण की प्राथमिक शिकायत मुंबई में है।

108. पैराग्राफ संख्या 16 और 17 में, रिट याचिका (सि) 15556/2023 में याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित प्रकथन दिए हैं:-

> *"16. जैसा कि ऊपर कहा गया है, एससीएन को अपना उत्तर दाखिल करने से पहले, 27 दिसंबर 2020 को, बीएनएल ने समझौता विनियम ("समझौता आवेदन") के संदर्भ में कथित उल्लंघनों के समझौते के लिए*

एक आवेदन दायर किया था। बीएनएल के समझौता आवेदन को 6348/2021 के रूप में क्रमांकित किया गया था। एससीएन में निहित कथित उल्लंघनों के समझौते के लिए प्रत्यर्थी सं. 2 से 8 द्वारा अलग और स्वतंत्र समझौता आवेदन भी दायर किए गए थे। समझौता आवेदन को वर्तमान याचिका के साथ संलग्न नहीं किया जा रहा है क्योंकि यह समझौता विनियमों के विनियम 29 के तहत एक गोपनीय दस्तावेज है। यदि माननीय न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया है तो याचिकाकर्ता समझौता आवेदन की एक प्रति प्रस्तुत करने का वचन देता है। यदि समझौता आवेदन इसके साथ संलग्न नहीं किया गया है तो सेबी को कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा क्योंकि समझौता आवेदन पहले से ही सेबी के पास दायर किया गया है और सेबी उसका प्राप्तकर्ता है।

17. इसके बाद समझौता आवेदन पर समझौता विनियमों के तहत गठित सेबी की आंतरिक समिति ("आईसी") द्वारा विचार किया गया। समझौता आवेदन पर विचार-विमर्श करने और समझौते की शर्तों पर चर्चा और बातचीत करने के लिए आईसी और याचिकाकर्ता के प्रतिनिधियों के बीच 6 अगस्त 2021, 31 अगस्त 2021, 28 अक्टूबर 2021 और 2 दिसंबर 2021 को बैठकें हुईं। स्पष्टता के लिए, यह प्रस्तुत किया गया है कि आईसी ने याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी सं. 2 से 8 के साथ उनके व्यक्तिगत समझौता आवेदनों के संबंध में अलग-अलग चर्चा की थी। उक्त बैठकों के अनुसरण में, याचिकाकर्ता ने आईसी द्वारा उठाए गए विभिन्न प्रश्नों का उत्तर दिया और परस्पर विचार-विमर्श के आधार पर आईसी के साथ संशोधित समझौता शर्तें दायर कीं।"

109. इस प्रकार, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि याचीगण ने मुंबई में अलग-अलग तिथियों पर सेबी की आंतरिक समिति के समक्ष भाग लिया और उसके बाद एक समझौता हुआ। इस प्रकार, यह देखा गया है कि यह केवल प्रत्यर्थी-सेबी के मुंबई स्थित प्रधान कार्यालय का स्थान नहीं है, बल्कि विवाद की पूरी उत्पत्ति मुंबई में ही है। समझौते को अंतिम रूप मुंबई में दिया गया। समझौता

पूरा न होने का निर्णय मुंबई में हुआ। इस आशय का विचार मुंबई में हुआ है और समझौता रद्द करने का निर्णय भी मुंबई में ही पारित किया गया है।

110. समझौता आदेश दिनांक 12.09.2022 में निम्नलिखित तथ्य दर्ज हैं, जो समझौता आदेश पारित करने के लिए अभिन्न, भौतिक और पर्याप्त तथ्य बनाते हैं: -

(i) सेबी द्वारा की गई जाँच के आधार पर, सेबी अधिनियम, 1992 और अन्य विधियों के विभिन्न उपबंधों के तहत बीएनएल और प्रत्यर्थीगण सं. 2 से 8 के विरुद्ध प्रवर्तन कार्यवाही शुरू की गई थी।

(ii) बीएनएल और प्रत्यर्थीगण सं. 2 से 8 ने 2018 के विनियमों के संदर्भ में एक निपटान आवेदन दायर किया था, जिसमें तथ्य और विधि के निष्कर्षों को स्वीकार या अस्वीकार किए बिना, निपटान आदेश के माध्यम से निपटान का प्रस्ताव दिया गया था, कारण बताओ सूचना दिनांक 28.10.2020 के माध्यम से शुरू किया गया था।

(iii) इसके बाद, एचपीएसी ने आवेदनों पर विचार किया और 2018 के विनियमों के अनुसार विभिन्न निबंधनों को पूरा करने पर निपटान के लिए मामले की सिफारिश की।

(iv) अंततः, सेबी अधिनियम, 1992 और 2018 के विनियमों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निपटान आदेश पारित किया गया। यदि

सेबी को निपटान आदेश में उल्लिखित कुछ विसंगतियां मिलती हैं, तो बीएनएल और प्रत्यर्थीगण सं. 2 से 8 के विरुद्ध कार्यवाही जारी रखने सहित प्रवर्तन कार्रवाई करने के लिए 2018 के विनियमों के तहत सेबी के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उक्त आदेश पारित किया गया था।

111. यह देखा गया है कि जब निपटान आदेश को बॉम्बे में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी, तब याचीगण संबंधित रिट याचिकाओं में उपस्थित हुए थे और मामले को चुनौती दी थी। बॉम्बे में माननीय उच्च न्यायालय ने रि.या. सं. 447/2023 और 530/2023 वाली रिट याचिकाओं में निपटान आदेश को चुनौती देने और नियामक कार्यवाही की बहाली से संबंधित प्रार्थना पर विचार किया। विभिन्न तिथियों पर, उक्त रिट याचिकाओं में सारवान् आदेश पारित किए गए। इसलिए, निर्विवाद रूप से, और सही भी है, पक्षकारगण ने बॉम्बे में माननीय उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का लाभ उठाया; और बीएनएल ने प्रत्यर्थीगण सं. 2 से 8 के साथ स्वयं को उक्त अधिकार क्षेत्र में अभ्यर्पित कर दिया।

112. वर्तमान मामले में वाद हेतुक का भौतिक, अभिन्न या आवश्यक हिस्सा समझौता करने और उसे रद्द करने का कार्य है। जो पहलू निपटान आदेश पारित करने और उसके रद्द करने के लिए प्रासंगिक नहीं हैं, उन्हें वाद हेतुक का अभिन्न, आवश्यक या भौतिक हिस्सा नहीं माना जा सकता है क्योंकि उनका वर्तमान याचिकाओं में शामिल मुद्दे पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं है।

113. केवल इसलिए कि इस न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी कंपनियों द्वारा प्रत्यर्थी-सेबी के मानदंडों और विनियमों के कुछ उल्लंघनों और परिणामी निपटान आवेदन से उत्पन्न मुद्दों से संबंधित कुछ रिट याचिकाओं पर विचार किया गया था, जो अपने आप में वाद हेतुक का अभिन्न, आवश्यक और भौतिक हिस्सा निर्धारित नहीं करेगा क्योंकि इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका की लंबितता का उस निरस्तीकरण आदेश से कोई संबंध नहीं है जो उक्त रिट याचिका के बाद हुआ है। उपयुक्त मंच की अवधारणा से संबंधित विधि, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, पहले से ही यह बिल्कुल स्पष्ट करती है कि अधिकार क्षेत्र प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्धारित किया जाना है।

114. इस प्रकथन के संबंध में कि यह न्यायालय याचीगण के लिए सबसे उपयुक्त मंच है, यह मान लेना अनुचित और अदूरदर्शी होगा कि अधिकार क्षेत्र का निर्धारण करते समय, केवल न्यायालय में आने वाले व्यथित पक्ष की सुविधा पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वास्तव में, समकालीन समय में प्रौद्योगिकी के आगमन के साथ, न्यायालय भौगोलिक बाधाओं को पार कर गए हैं और अब देश के दूरदराज के कोनों से भी सुगम्य हैं। इसलिए, प्रौद्योगिकी की गतिशीलता और न्याय तक बढ़ती पहुच के व्यापक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अधिकार क्षेत्र के निर्धारण के लिए पक्षकारगण की सुविधा एकमात्र मानदंड नहीं हो सकती है। वाद हेतुक और क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का निर्धारण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत परिकल्पित संवैधानिक योजना के अनुरूप होना चाहिए।

115. इसके अतिरिक्त, वर्तमान रिट याचिकाओं के मुकदमेबाजी इतिहास से पता चलता है कि पक्षकारगण ने वास्तव में, बॉम्बे में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी चिंताओं को उठाया है। इस न्यायालय के समक्ष ऐसा कुछ भी नहीं रखा गया है, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि बॉम्बे में माननीय उच्च न्यायालय एक अनुपयुक्त मंच है। इस न्यायालय की सुविचारित राय में यह मंच उपलब्ध है, उपयुक्त है और सुलभ भी है।

116. इसके अतिरिक्त, बॉम्बे में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रि.या. सं. 447/2023 और 530/2023 की याचिकाओं में दिनांक 01.12.2023 के आदेश के पैराग्राफ सं. 18 का परिशीलन, जिसमें प्रत्यर्थीगण की प्रस्तुतियाँ दर्ज की गई हैं, यह संकेत देगा कि न्यायालय के मन में यह धारणा बन गई है कि याचीगण एससीएन के शीघ्र निपटान की इच्छा रखते हैं। हालाँकि, वर्तमान मामलों के तथ्य दर्शाते हैं कि, उसी समय, याचिकाकर्ता भी निपटान आदेश को चुनौती देने की प्रक्रिया में थे क्योंकि वर्तमान याचिकाओं के लिए शपथपत्र आदेश पारित होने की अंतराल अवधि अर्थात 29.11.2023 और 01.12.2023 के दौरान प्रस्तुत किए गए थे।

117. पूरी निष्पक्षता से, यहां याचीगण को निपटान आदेश को चुनौती देने का अधिकार सुरक्षित रखने के संबंध में माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय के

समक्ष उक्त तथ्य का प्रकटीकरण करना चाहिए था। निस्संदेह, वे माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय में पूर्व सूचना के बिना इसे चुनौती दे सकते हैं, लेकिन इसका अवलंब उचित मंच/न्यायालय के समक्ष लिया जाना चाहिए। जब वादी असाधारण अधिकार क्षेत्र के तहत न्यायालयों का दरवाजा खटखटाते हैं तो उन पर निष्पक्ष आचरण का बोझ काफी बढ़ जाता है। इसलिए, कभी-कभी, यह संवैधानिक न्यायालय होते हैं जिन पर अधिकार क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने और मंच चुनने की किसी भी संवेदनशीलता को खत्म करने का बोझ आता है।

118. वर्तमान मामले में, इस तथ्य को छोड़कर कि (i) याचीगण के पंजीकृत कार्यालय या आवास दिल्ली में हैं; (ii) उन्हें दिल्ली में एससीएन या अंतिम आदेश प्राप्त हो गया है; (iii) यह तथ्य कि कुछ शेयरधारक दिल्ली में स्थित हैं; (iv) यह न्यायालय रि.या.(सि.) सं. 10756/2019 के साथ विचाराधीन है, याचीगण को इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लागू करने का अधिकार देने के लिए कोई अन्य तथ्य नहीं है, यहां तक कि कोई सामग्री या अभिन्न तथ्य भी नहीं है।

119. इस प्रकार, यह देखा गया है कि वर्तमान मामलों के तथ्यों के अंतर्गत, वाद हेतुक का अभिन्न, आवश्यक और भौतिक हिस्सा बॉम्बे में माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक अधिकार क्षेत्र के साथ उत्पन्न हुआ था और यहाँ तक कि यह मानते हुए भी कि वाद हेतुक का एक छोटा सा हिस्सा इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न हुआ है, उपयुक्त मंच के सिद्धांतों को लागू

करते हुए जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***गोवा राज्य*** *(पूर्वोक्त)* के मामले में अभिनिर्धारित किया है, यह न्यायालय वर्तमान रिट याचिकाओं पर विचार करना उचित नहीं समझता। इसलिए वर्तमान रिट याचिकाएँ खारिज की जाती हैं।

120. हालाँकि, पक्षकारगण अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालय से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र हैं। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि इस न्यायालय ने वर्तमान मामलों के गुणागुण पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

(पुरुषेंद्र कुमार कौरव)
न्यायाधीश

दिसम्बर 18,2023
एनसी/एसएचएस/एमजे

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*